



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276518
CG-DL-E-26092026-276518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574]
No. 574]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
(संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक निकाय)
(कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

सं. जी/20-सीएमए/ 9/ 2026 .— लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उप-धारा 5ख के अनुसरण में, संस्थान की परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और उस संस्थान के 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

सीएमए (डॉ.) डी. पी. नंदी, सचिव (कार्यवाहक)
[विज्ञापन-III/4/असा./343/2026-27]

67वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2025-26

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद को यह 67वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें संस्थान के विभागों, समितियों, क्षेत्रों और चैप्टरों की उपलब्धियों और गतिविधियों का विवरण दिया गया है।

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 निदेशालय और उसकी गतिविधियाँ समितियों/ बोर्डों/ प्रकोष्ठों/ निदेशालयों की गतिविधियाँ

✓ अध्यक्ष का कार्यालय

अध्यक्ष का कार्यालय संस्थान के अध्यक्ष की ओर से संस्थान के विभागों और बाहरी संगठनों एवं एजेंसियों के साथ विभिन्न गतिविधियों के समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। यद्यपि कार्यालय ऐसी सभी गतिविधियों के निष्पादन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकता है, फिर भी यह संबंधित हितधारकों के बीच निर्बाध समन्वय, प्रभावी संचार और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

✓ परीक्षा निदेशालय

फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं जून और दिसंबर 2025 सत्र में ऑफ़लाइन केंद्र-आधारित मोड में आयोजित की गई थी। जून की परीक्षा 186 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जिनमें 3 विदेशी केंद्र शामिल थे और दिसंबर की परीक्षा 192 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जिनमें 3 विदेशी केंद्र शामिल थे। दोनों सत्रों में फ़ाउंडेशन परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 40,099 थी। दोनों सत्रों में इंटरमीडिएट और फ़ाइनल परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 1,79,133 थी।

✓ अध्ययन निदेशालय

यह मुख्य रूप से छात्रों से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह छात्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच और सहायता सुनिश्चित करने के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से कई तरह की पहल करता है।

वर्तमान में यह अपनी तीन अलग-अलग शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है:

- (क) शैक्षणिक
- (ख) प्रशासन
- (ग) प्रशिक्षण

निदेशालय मुख्य रूप से निम्नलिखित पर बल देता है:

1. छात्रों के आंकड़े
2. गुणात्मक सुधारों के माध्यम से क्षमता निर्माण हेतु की गई पहल
3. छात्रों के लिए सहायक सेवाएं
4. संस्थान की राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति के तहत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान
5. सामाजिक जिम्मेदारियां
6. प्रशिक्षण
7. ऑनलाइन मॉक टेस्ट

✓ सदस्यता विभाग

सदस्य सुविधा समिति के मार्गदर्शन में वर्ष भर डिजिटल बदलाव और सदस्यों की सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी सेवाओं को बेहतर और आसान बनाना जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान, संस्थान ने 2,620 व्यक्तियों को एसोसिएट सदस्य के तौर पर शामिल किया, जबकि 418 सदस्यों को मानद सदस्यता (फेलोशिप) का दर्जा प्रदान किया गया, जो कि पेशेवर सदस्यता आधार में निरंतर हो रही को वृद्धि को दर्शाता है। सदस्यों को निरंतर डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए, संस्थान ने 'डिजीलॉकर' सुविधा को, विशेषकर ऑनलाइन सदस्य पहचान कार्ड जारी करने और सदस्यता की नियमित साप्ताहिक प्रोसेसिंग करने और उसे मंजूरी देने के कार्य के लिए और भी मजबूत किया।

नई सुविधाएं:

- जनवरी 2026 से, सभी नए एसोसिएट सदस्यों को एक खास तरह से तैयार की गई सदस्यता किट दी जा रही है। इसे पुरुष और महिला सदस्यों के लिए अलग-अलग डिज़ाइन किया गया है और इसे पूरे देश में सकारात्मक फीडबैक मिला है।
- संस्थान ने फरवरी 2025 में अपोलो हॉस्पिटल के साथ एक समझौता किया है, ताकि सदस्यों और उन पर निर्भर लोगों को रियायती दरों पर हेल्थकेयर सुविधाएं मिल सकें।
- सितंबर 2026 में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ हुए एक समझौते से सदस्य कार खरीदने पर विशेष ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं।

- जनवरी 2026 में लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के साथ हुई साझेदारी से सदस्यों को ठहरने के लिए रियायती सुविधाएं मिलती हैं।

✓ जर्नल एवं प्रकाशन निदेशालय

- निदेशालय नियमित आधार पर मासिक पत्रिका "द मैनेजमेंट अकाउंटेंट" और त्रैमासिक पत्रिका "रिसर्च बुलेटिन" का प्रकाशन करता है।
- मैनेजमेंट अकाउंटेंट पत्रिका अब दुनिया भर के 94 देशों में उपलब्ध है और दुनिया के अन्य भागों में भी इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
- मैनेजमेंट अकाउंटेंट जर्नल मैगज़्टर और रीडव्हेयर जैसे तृतीय पक्षों के माध्यम से पढ़ने के लिए ऐप्स पर उपलब्ध है और निदेशालय इसे अन्य प्लेटफार्मों, मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पर भी सूचीबद्ध करने का प्रयास कर रहा है।
- मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए संपादकीय सलाहकार टीम का गठन
- अक्टूबर 2025 के अंक से एक नए मासिक जर्नल कॉलम, "एप्लाइड इनसाइट्स – केस स्टडीज़ और मैनेजमेंट पज़ल्स का एक प्रकाशन" की शुरुआत।
- नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) द्वारा 13 से 21 दिसंबर 2025 तक आयोजित पुणे बुक फेस्टिवल में भागीदारी।
- वेबिनार और वर्कशॉप का सफलतापूर्वक आयोजन और उन्हें संस्थान के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना।
- प्रसिद्ध हस्तियों के साक्षात्कार।

✓ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

समय के साथ, संस्थान ने उभरती हुई तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई), मशीन लर्निंग (एमएल) और साइबर सुरक्षा का लाभ उठाना शुरू कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसकी प्रणाली बाज़ार में होने वाले बदलावों के प्रति चुस्त और उत्तरदायी बनी रहे।

- संस्थान में ई आर पी का कार्यान्वयन
- संस्थान में ईऑफिस का कार्यान्वयन
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई)
- सदस्य ऑनलाइन प्रणाली
- अनुसंधान एव जर्नल
- सहकारी विकास बोर्ड
- ऑनलाइन छात्र पंजीकरण प्रणाली

- भुवनेश्वर में 62वां राष्ट्रीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार सम्मेलन 2025 और कोयंबटूर में 63वां राष्ट्रीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार सम्मेलन 2026
- icmai.in वेबसाइट का पुनरूपण और विकास
- सी एम ए राष्ट्रीय युवा वाणिज्य ओलंपियाड (एन वाई सी ओ) 2025
- प्रवेश पत्र और परिणाम होस्टिंग
- ✓ पेशेवर विकास एवं सी पी ई निदेशालय
 - संस्थान के प्रतिनिधित्व पर सी एम ए को मान्यता
 - सरकार, पीएसयू, बैंकों और अन्य संगठनों के समक्ष प्रतिनिधित्व
 - सी ओ पी धारकों के लिए अनिवार्य क्षमता निर्माण प्रशिक्षण (एम सी बी टी)
 - वेबिनार सीरीज़
 - संस्थान का समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)
 - सेमिनार और कार्यशालाएं
 - सतत व्यावसायिक शिक्षा (सी पी ई) 2024 के तहत सदस्यों के लिए दिशानिर्देश
 - सतत व्यावसायिक शिक्षा (सी पी ई) कार्यक्रम
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग
 - साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ़ अकाउंटेंट्स (साफा)
 - आसियान फेडरेशन ऑफ़ अकाउंटेंट्स (ए एफ ए)
 - इंस्टीट्यूट ऑफ़ डायरेक्टर्स (आई ओ डी)
 - कॉन्फेडरेशन ऑफ़ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट्स (सी ए पी ए) और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ़ अकाउंटेंट्स (आई एफ ए सी)
 - अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम
 - अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार
- ✓ संस्थान का तकनीकी सेल
 - शंकाओं का समाधान
 - एम आर पी के गलत विवरण पर प्रस्तुति
 - उप महानिदेशक (दूरसंचार प्रमाणन) को सहायता
- ✓ बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा बोर्ड
 - सी एम ए को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन पत्र

- सी एम ए की भर्ती चल रही है।
- सी एम ए के लिए प्रस्ताव के अनुरोध (आर एफ पी) और कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।
- बी एफ एस आई के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- वेबिनार
- भौतिक कार्यक्रम
- प्रकाशन
- नियामक इनपुट – सहकारी बैंको के लिए मुख्य निर्देश

✓ सततता मानक बोर्ड

- वेबिनार
- सुखिनोभवन्तु शीर्षक से मासिक समाचार पत्र
- आई सी एम ए आई सततता मानक मार्गनिर्देशन टिप्पणियां
- भौतिक कार्यक्रम
- ई एस जी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- ई लाईब्रेरी

✓ प्रबंधन लेखांकन समिति

संस्थान की प्रबंधन लेखांकन समिति, प्रबंधन लेखांकन के संगत विषयों पर ऐसी श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और मार्गदर्शन का विकास करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जो कि व्यवहार, व्यवसाय और उद्योग में सदस्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हों। समिति संस्थान और उसके सदस्यों के साथ-साथ प्रबंधन लेखांकन से संबंधित अन्य संगठनों के बीच संचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुगम बनाने और दुनिया भर में प्रबंधन लेखांकन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रबंधन लेखांकन दिशानिर्देश और/ अथवा उत्तम प्रबंधन लेखांकन प्रक्रियाएं जारी करने का कार्य अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव रखती है।

तीन बुनियादी विशेषताएं:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन लेखांकन दिवस
- प्रबंधन लेखांकन पुरस्कार
- वेबिनार

✓ सहकारी एवं एनपीओ विकास बोर्ड (सी एन डी बी)

बोर्ड ने वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की हैं:

- प्रतिनिधित्व पत्र
- सहकारी एक्सपो 2025
- भौतिक कार्यक्रम
- वेबिनार
- प्रकाशन
- अलग अलग राज्यों में मंत्रियों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों तथा बैंक अधिकारियों के साथ बैठक

✓ क्षेत्रीय परिषद एवं चैप्टर समन्वय समिति

सीएमए विभूति भूषण नायक की अध्यक्षता में समिति में बारह सदस्य (अध्यक्ष और तीन सहयोजित सदस्यों सहित) शामिल हैं।

समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के बीच की दूरी को कम करना
- कामकाज की क्षमता को बेहतर बनाना
- क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों को संस्थान के नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना
- समस्याओं की पहले से पहचान करना और परस्पर संबद्ध मामलों अथवा साझा चिंता के मामलों पर मिल कर काम करने में सुविधा प्रदान करना।

समिति की गतिविधियां:

- वर्ष 2025-26 में क्षेत्र-वार चैप्टरों की बैठकें करना
- राष्ट्रीय चैप्टर बैठकें 2026

✓ कैरियर परामर्श एवं प्लेसमेंट समिति

- सी एम ए कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम
- उन्नत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
- उद्योग वार्ता और कॉर्पोरेट संपर्क
- राइज इंडिया लीडरशिप समिट 2026
- सी एम ए नेशनल यूथ कॉमर्स ओलंपियाड (एन वाई सी ओ) 2025
- 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2026

✓ कर अनुसंधान विभाग

समिति और कार्य बल के संबंध में

- प्रत्यक्ष कराधान समिति (डी टी सी)
- अप्रत्यक्ष कराधान समिति (आई डी टी सी)
- आयकर अधिनियम, 2025 पर कार्य बल
- टैक्स बुलेटिन
- वेबिनार, विशेष वेबिनार और ज्ञान सीरीज़
- आयकर अधिनियम, 2025 पर आउटरीच कार्यक्रम
- सेमिनार
- जी एस टी पर भौतिक आउटरीच कार्यक्रम
- प्रश्नोत्तरी गतिविधि
- महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम
- पेशेवर पाठ्यक्रम और कक्षा
- शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम
- कर संबंधी जानकारी, अनुसंधान और नीतिगत पैरवी
- कराधान सहायता डेस्क
- प्रकाशन आदि

✓ पीयर रिव्यू बोर्ड

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पीयर रिव्यू बोर्ड ने पेशे के गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क को मजबूत करने के अपने प्रयास जारी रखे। बोर्ड ने पीयर रिव्यू गतिविधियों की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए वर्ष के दौरान एक बैठक की।

✓ कैट (सी ए टी)

- रिटायर होने वाले/ रिटायर हो चुके रक्षा कर्मियों के लिए कैट पाठ्यक्रम
- भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का तीसरा राष्ट्रीय कैट छात्र सम्मेलन 2026
- कैट सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए फीस माफी योजना
- करियर परामर्श
- नया आरओसीसी
- परीक्षा
- ऑनलाइन कक्षाएं

✓ जन संपर्क

- संस्थान द्वारा सरकारी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध और उसका अनुवर्तन
- मीडिया प्रबंधन
- संस्थान की ओर से मुख्य अतिथियों के रूप में संस्थान के कार्यक्रमों के लिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वी वी आई पी) को आमंत्रित करना

✓ कृषि लागत एवं प्रबंधन बोर्ड

आई सी एम ए आई का कृषि लागत प्रबंधन बोर्ड (ए सी एम बी) मुख्य रूप से भारत में कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में योगदान देने पर केंद्रित है। ए सी एम बी लागत प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र के हितधारकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके मुख्य फोकस क्षेत्रों में राजस्व प्रबंधन और लागत नियंत्रण, लागत-लाभ विश्लेषण, कृषि आपूर्ति श्रृंखला विकास, इन्वेंट्री प्रबंधन, क्षमता निर्माण, एफ पी ओ प्रबंधन, अनुसंधान, शिक्षा, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े सार्वजनिक और निजी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग, और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में लागत और प्रतिफल को बेहतर बनाने तथा जोखिम को कम करने के संबंध में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

- कृषि लागत प्रबंधन में डिप्लोमा (डी ए सी एम) पाठ्यक्रम, आई सी एम ए आई एवं इग्नू की एक संयुक्त पहल

- शोध मोनोग्राफ, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ) पर मार्गदर्शन टिप्पणी और कृषि बुलेटिन का प्रकाशन
- कृषि लागत प्रबंधन बोर्ड द्वारा वेबिनार का आयोजन
- राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में भागीदारी
- कृषि विश्वविद्यालयों के साथ संबंध बनाने और सेमिनार आयोजित करने के लिए पहल

✓ एम एस एम ई और स्टार्ट अप संवर्धन बोर्ड

एम एस एम ई और स्टार्ट अप संवर्धन बोर्ड (एम एस पी बी), भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आई सी एम ए आई) का एक समर्पित बोर्ड है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में एम एस एम ई और स्टार्ट अप क्षेत्र की उन्नति और विकास में योगदान देना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) और स्टार्ट अप की उन्नति को बढ़ावा देने के अपनी प्रतिबद्धता के तहत, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आई सी एम ए आई) ने एम एस एम ई और स्टार्ट अप संवर्धन बोर्ड की स्थापना की। अपनी शुरुआत के बाद से ही, यह बोर्ड एम एस एम ई क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

✓ व्यापार निकायों के साथ वार्ता करने के लिए कार्य बल

संस्थान ने व्यापार निकायों के साथ बातचीत करने संबंधी अपने कार्य बल के माध्यम से, पीएचडी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पी एच डी सी सी आई) के सहयोग से, दिनांक 24 फ़रवरी 2026 को नई दिल्ली के पीएचडी हाउस में “लागत प्रतिस्पर्धा – विकसित भारत 2047 के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक” विषय पर एक सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

✓ पूर्वोत्तर के लिए कार्य बल

संस्थान में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) के लिए एक कार्य बल है, जो विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाली गतिविधियों और पहलों पर ध्यान देता है।

✓ लागत लेखा परीक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड (सी ए ए एस बी)

- अपने ग्राहक को जानें (के वाई सी) दिशानिर्देश
- फॉर्म एम-3 में घोषणा को शामिल करना
- सदस्यों के लिए आचार संहिता
- लागत लेखा परीक्षण मानकों पर सीएमए जीपीटी अनुप्रयोग

- लागत लेखा परीक्षण (एस सी ए) पर संशोधित मानक
- आगामी पहलें

✓ लागत लेखांकन मानक बोर्ड (सी ए एस बी)

- स्वास्थ्य सेवाओं में लागत प्रबंधन पर तकनीकी मार्गनिर्देश
- वस्तुसूची (इन्वेंट्री) के मूल्यांकन पर लागत लेखांकन मानक (सीएस-25)
- सी एम ए श्रीलंका को तकनीकी सहायता
- लागत लेखांकन मानकों के लिए सीएमए जीपीटी अनुप्रयोग
- आईसीओएस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता
- स्वास्थ्य सेवाओं में लागत लेखांकन की भूमिका पर प्रस्तुति
- आगामी पहलें

✓ ए आई रणनीति और क्षमता निर्माण बोर्ड

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई) से व्यावसायिकों के काम करने, जानकारी का विश्लेषण करने और निर्णय लेने के तरीके में बदलाव आ रहा है। लागत और प्रबंधन लेखांकन के व्यवसाय में इसकी बढ़ती अहमियत को देखते हुए, संस्थान ने ए आई रणनीति और क्षमता निर्माण बोर्ड का गठन किया है जिसका उद्देश्य सदस्यों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई) के संबंध में जागरूकता बढ़ाना, क्षमता निर्माण करना और इसे व्यावहारिक रूप से अपनाए जाने को बढ़ावा देना है।

✓ आंतरिक लेखा परीक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड

बोर्ड में परिषद के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक शामिल हैं जिन्हें उद्योग, आंतरिक लेखा परीक्षा, शासन, जोखिम प्रबंधन और आश्वासन के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। वर्ष 2025-26 के दौरान, बोर्ड ने आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवसाय को मज़बूत करने और लागत लेखाकारों की व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या (दूसरी शिकायत 26.03.2026 को प्राप्त हुई)	2
एक वर्ष में निपटाए गए यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या	0
90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	0
नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	अनुपालन सुनिश्चित किया गया

✓ वित्तीय आसूचना एकक (एफ आई यू) संबंधी मामले

- एफ आई यू - इंडिया द्वारा आयोजित बैठकें
- राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन दस्तावेज़ के विकास में सहायता
- टिप्पणियों का प्रस्तुतीकरण
- आचार संहिता समिति

यह संहिता एक व्यापक रूपरेखा के रूप में काम करती है जो संस्थान के सदस्यों से अपेक्षित नैतिक सिद्धांतों, बुनियादी मूल्यों और पेशेवर ज़िम्मेदारियों को तय करती है। यह ईमानदारी, निष्पक्षता, पेशेवर क्षमता, उचित सावधानी, गोपनीयता, जवाबदेही और जनता के भरोसे के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए सीएमए व्यवसाय की प्रतिबद्धता को मज़बूत करती है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

काउंसिल,

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (संस्थान) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों के साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार (जिन्हें इसके बाद से 'वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) शामिल है

जिसमें कि इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय काउंसिल और चैप्टर के काउंसिल और चैप्टर ऑडिटर/ कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित रिटर्न/ वित्तीय विवरण भी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण सभी ज़रूरी मामलों में यथासंशोधित लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 ('अधिनियम') के तहत अपेक्षित सूचना उसी तरह देते हैं जैसी की अपेक्षा है और ये भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को इंस्टीट्यूट की स्थिति, उसके सरप्लस और उस वर्ष के नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ' खंड में और जानकारी दी गई है। हम वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से जुड़ी नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार इंस्टीट्यूट से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और 'कोड ऑफ़ एथिक्स' के अनुसार अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमें जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार बनाने के लिए पर्याप्त और सही हैं।

मामले पर विशेष ध्यान

हम निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- i) इंस्टीट्यूट ने अभी तक 'गैर-निगमित संस्थाओं' के लिए 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया' द्वारा बताए गए वित्तीय विवरणों के प्रारूप को नहीं अपनाया है, जो कि 1 अप्रैल, 2025 से लागू होना है।
- ii) प्रारंभिक शेष पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं से लिए गए हैं, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी। हम, सांविधिक लेखा परीक्षकों के तौर पर, उन अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य पर भरोसा करते हैं।

- iii) पश्चिम भारतीय क्षेत्रीय काउंसिल के मामले में, ₹67,30,000 के प्राप्य दावे और ₹15,69,507 के आस्थगित व्यय प्रतीत हो रहे हैं, जो कानूनी विवाद का विषय हैं। ₹67,30,000 का 'क्लेम सस्पेंस – एफडीएपीएल' और 'व्ययों के लिए प्रावधान' (जिसमें आस्थगित व्यय शामिल हैं) विवाद के अंतिम निपटारे तक उसी राशि को दिखाते हैं। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 30 ख. 5 (क) देखें)।
- iv) क्षेत्रीय काउंसिल और चैप्टरों के साथ चालू खाते के तहत ₹1,73,50,036 (नेट क्रेडिट) का शेष दिखाई दे रहा है, जिसका मिलान अभी चल रहा है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 5 देखें)।
- v) बेलापुर में नवी मुंबई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस भवन के लिए ₹4,99,78,350 का 'पूँजीगत कार्य प्रगति पर' है, जिस पर पिछले 7 वर्षों से कोई आगे काम नहीं किया गया है।
- vi) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और ऋण व अग्रिम आदि के संबंध में वर्ष के अंत में बकाया राशि की पुष्टि संबंधित पक्षों से प्राप्त नहीं हुई हैं।
- vii) इंस्टीट्यूट के उस वर्ष के वित्तीय विवरणों में पांच चैप्टर के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी ओर से कोई वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 30 ख.1 देखें)।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की ज़िम्मेदारियां

इंस्टीट्यूट के प्रबंधन और शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। ये विवरण यथा संशोधित अधिनियम के अनुसार इंस्टीट्यूट की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं। इस ज़िम्मेदारी में इंस्टीट्यूट की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखांकन रिकॉर्ड का रख रखाव करना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; उचित और विवेकपूर्ण अनुमानों और निर्णयों को तैयार करना तथा ऐसे उचित आंतरिक नियंत्रण बनाना, लागू करना और रख रखाव करना शामिल है, जो प्रासंगिक लेखा रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं, जो कि सही और निष्पक्ष

तस्वीर दिखाते हों और जो महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हो, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण से हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्रबंधन इंस्टीट्यूट की एक लाभकारी संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी संस्था से संबंधित मामलों को यथा लागू प्रकट करने तथा लाभकारी संस्था का लेखांकन के आधार पर तब तक उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन इंस्टीट्यूट का परिसमापन करने अथवा उसका प्रचालन बंद करने का इरादा न रखे अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य तर्कसंगत विकल्प न बचा हो।

शासन व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति इंस्टीट्यूट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख रेख करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें कि हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगा लेती है। गलत विवरण धोखा धड़ी अथवा चूक के कारण से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की तर्कसंगत रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखांकन संबंधी मानदंडों (एस ए) के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय प्रदान करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखा धड़ी अथवा चूक के कारण से हो, ऐसे जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करते हैं और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम चूक से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली भगत, जालसाजी,

जानबूझकर की गई चूक, गलत विवरण अथवा आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन करना शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिज़ाइन की जा सकें जो उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, लेकिन इंस्टीट्यूट के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं हों।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभकारी संस्था के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जिससे इंस्टीट्यूट की लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा हो सकता है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपना मत संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण इंस्टीट्यूट लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

सारगर्भिता वित्तीय विवरणों में गलत विवरण का वह परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उपयुक्त जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपनी लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक सारगर्भिता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में पाई गई ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्र होने से संबंधित प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं जिनके बारे में उचित रूप से यह माना जा सकता है कि हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और जहां लागू हो, उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों की जानकारी भी देते हैं।

अन्य मामले

- 1 (क) हमने चार क्षेत्रीय काउंसिल और एक सौ सात चैप्टर के वित्तीय विवरणों/ सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति अनुसार कुल परिसंपत्ति ₹2,727,903,801, दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹238,798,641 और दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य ₹2,404,285,124 दिखाए गए हैं। इन क्षेत्रीय काउंसिल के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित क्षेत्रीय काउंसिल द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है। वहीं, इन चैप्टर के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 के विनियम 133 और इंस्टीट्यूट के चैप्टर उप नियमों के खंड 26 के तहत चैप्टर की शासी निकाय द्वारा नियुक्त लागत लेखाकार द्वारा की गई है। इनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें सौंपी हैं। इन काउंसिल और चैप्टर से संबंधित राशि और जानकारी के बारे में हमारी राय पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाकार की रिपोर्ट पर आधारित है।
- (ख) इंस्टीट्यूट के इस वर्ष के वित्तीय विवरणों में पांच चैप्टर के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी ओर से कोई वित्तीय विवरण नहीं मिला है।
- (ग) इंस्टीट्यूट के इस वर्ष के वित्तीय विवरणों में एक सौ सात चैप्टर शामिल हैं, जिनकी लेखा परीक्षा लागत लेखाकारों द्वारा की गई थी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में नहीं बदली गई है; इसमें हमने अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाकारों, जैसा भी मामला हो, के किए गए कार्य और उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई ₹36,35,000 की राशि अभी भी "ऋण और अग्रिम" शीर्ष के तहत 'पुणे भवन के लिए अग्रिम' के तौर पर दिखाई जा रही है और इसे पूंजीगत अनुदान के रूप में नहीं माना जा रहा है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 30 ख.2 (ज) देखें)।
3. वर्ष के दौरान व्ययों के लिए बनाए गए अधिक्य प्रावधान के संबंध में ₹5,47,63,800 की राशि वापस लिखी गई है और इसे आय और व्यय विवरण में 'पूर्व अवधि की आय' के तौर पर माना गया है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 30 ख.2 (ट) देखें)।
4. वर्ष के दौरान ₹1,56,77,503 की राशि, जो जीएसटी इनपुट क्रेडिट के तौर पर बिना इस्तेमाल के पड़ी थी, उसे आय और व्यय विवरण में चार्ज किया गया है (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 30 ख.2 (ठ) देखें)।

अन्य नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

उपरोक्त पैरा में हमारी टिप्पणियों के अलावा, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- ख. हमारी राय में, इंस्टीट्यूट द्वारा समुचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और जिन क्षेत्र और चैप्टर का हमने दौरा नहीं किया, उनसे हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए सही रिटर्न प्राप्त हुए हैं। इसे 'अन्य मामले' के पैरा 1 के साथ पढ़ा जाए।

- ग. संबंधित क्षेत्र और चैप्टर के लेखा परीक्षक और लागत लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित, इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय काउंसिल और चैप्टर के वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उन पर समुचित रूप से विचार किया है।
- घ. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, आय और व्यय विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, लेखा पुस्तकों और उन क्षेत्रीय काउंसिल और चैप्टर से प्राप्त प्रतिफल के साथ मेल खाते हैं, जिनका कि हमने दौरा नहीं किया है।

कृते रे एंड रे

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(फर्म का रजिस्ट्रेशन सं. : 301072E)

स्थान: कोलकाता,

तारीख: 21 जुलाई 2026

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

पार्टनर

सदस्यता सं. 056359

UDIN 26056359RDIPUM3412

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र				
31 मार्च 2025 की स्थिति	₹ विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2026 की स्थिति	
			₹	₹
	निधियों के स्रोत			
	इंस्टीट्यूट की निधि			
5,475,356,119	सामान्य निधि	1		6,390,945,367
2,608,441	कर्मचारी उपदान निधि	2		2,753,652
13,691,273	विविध पुरस्कार निधि	3		14,170,142
14,376,255	अन्य निधि	4		18,792,608
412,287,584	वर्तमान देयताएं	5		379,570,935
16,290,930	प्रावधान	6		14,600,059
5,934,610,602	कुल			6,820,832,763
	निधियों का उपयोग			
	गैर-चालू परिसंपत्तियां			
811,960,380	क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	7		783,618,298
1,507,338	ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	7		2,726,525
101,935,921	पूजीगत कार्य प्रगति पर			135,476,606
111,151,147	निवेश	8		112,151,147
	चालू परिसंपत्तियां			
6,483,285	वस्तुसूचियां	9	12,916,909	
39,766,530	व्यापार प्राप्त्य	10	55,303,916	
197,031,476	अन्य प्राप्त्य	10A	221,249,716	
4,586,765,809	नकदी और नकदी समतुल्य	11	5,368,159,485	
78,008,717	ऋण और अग्रिम	12	129,230,162	
				5,786,860,188
4,908,055,816				
5,934,610,602	कुल			6,820,832,763
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां	(30)		
संलग्न टिप्पणियां 1-30 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।				
यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है।				
कृते रे एंड रे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. : 301072E सीएमए सोमा बनर्जी अपर निदेशक – वित्त सीएमए डॉ. देबाप्रसन्ना नंदी सचिव (कार्यवाहक) आशीष कुमार सुखोपाध्याय भागीदार सदस्यता सं. : 056359 सीएमए नीरज धनंजय जोशी उपाध्यक्ष सीएमए टीसीए श्रीनिवास प्रसाद अध्यक्ष स्थान : कोलकाता तारीख : 21 जुलाई 2026				

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण			
दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	टिप्पणी	दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
₹			₹
	आय :		
55,273,247	सदस्यता और अन्य शुल्क	13	54,309,698
1,305,031,668	शिक्षण एवं अन्य शुल्क	14	1,579,349,507
357,398,713	परीक्षा एवं अन्य शुल्क	15	419,030,864
65,417,523	सी पी ई. और अन्य कार्यक्रम शुल्क	16	72,944,968
310,758,776	व्याज	17	337,402,655
22,394,434	अन्य आय	18	12,914,262
2,116,274,361	कुल		2,475,951,953
	व्यय :		
388,786,116	स्थापना व्यय	19	397,110,905
214,285,557	कार्यालय व्यय	20	238,468,309
292,217,296	परीक्षा व्यय	21	343,397,091
67,206,049	परिषद और समिति बैठक व्यय	22	80,005,130
12,060	ट्रिव्यूनल सहित चुनाव का व्यय	23	8,450
13,558,177	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान	24	14,396,920
103,086,663	सी पी ई तकनीकी कौशल विकास और अन्य कार्यक्रम व्यय	25	117,268,704
286,569,506	कोचिंग व्यय	26	250,144,718
56,762,401	अध्ययन सामग्रियों एवं विवरणियों की खपत	27	53,038,138
1,371,854	वस्तु सूची और अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	28	3,032,871
61,100,998	अन्य व्यय	29	60,631,390
55,669,392	मूल्यहास और परिशोधन	7	57,415,192
1,540,626,069	कुल		1,614,917,819
575,648,292	व्यय से अधिक आय होने के कारण शेष		861,034,135
4,236,128	अवधि पूर्व समायोजन (निबल)		(51,958,088)
571,412,164	अधिक्य शेष होने के कारण सामान्य निधि में अंतरित		912,992,223
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां	30	
संलग्न टिप्पणियां 1-30 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।			
यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित आय और व्यय का विवरण है। कृते रे एंड रे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. : 301072E सीएमए सोमा बनर्जी अपर निदेशक – वित्त सीएमए डॉ. देबाप्रसन्ना नंदी सचिव (कार्यवाहक) आशीष कुमार मुखोपाध्याय भागीदार सदस्यता सं. : 056359 सीएमए नीरज धनंजय जोशी उपाध्यक्ष सीएमए टीसीए श्रीनिवास प्रसाद अध्यक्ष स्थान : कोलकाता तारीख : 21 जुलाई 2026			

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण			
दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
₹		₹	₹
	क. प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
571,412,164	पूर्व अवधि समायोजनों के बाद निवल सरप्लस	912,992,223	
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :-		
55,669,392	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	57,415,192	
627,081,556	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनीय सरप्लस	970,407,415	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के लिए समायोजन		
(32,781,127)	चाल देयताओं में वृद्धि /कमी)	(34,407,519)	
(12,647,493)	चाल परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(97,410,696)	
(45,428,620)		(131,818,215)	
581,652,935	प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क)		838,589,200
	ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(127,758,027)	सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में परिवर्तन	(6,417,789)	
-	निवेश	(1,000,000)	
(127,758,027)	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)		(7,417,789)
	ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(56,827,534)	निधि शेष में परिवर्तन	(49,777,735)	
(56,827,534)	वित्तीय गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (ग)		(49,777,735)
397,067,374	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि /(कमी) (क +ख +ग)		781,393,676
4,189,698,434	जोड़ें- अवधि के शुरु में नकदी और नकदी समान		4,586,765,809
4,586,765,809	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समान		5,368,159,485
टिप्पणी :-			
i. उपरोक्त नकदी प्रवाह का विवरण "नकदी प्रवाह विवरण" के संबंध में लेखांकन मानक, ए एस -3 में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के तहत तैयार किया गया है।			
ii. नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल हैं: (टिप्पणी 11)			
		₹	
1,032,735	हाथ में नकदी	816,586	
132,102,457	बैंक शेष – चाल खाता	111,774,988	
150,599,421	बैंक शेष – बचत खाता	190,388,481	
4,303,031,195	सावधि जमा	5,065,179,430	
4,586,765,809		5,368,159,485	
यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित आय और व्यय का विवरण है।			
कृते रे एंड रे			
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स			
फर्म पंजीकरण सं. : 301072E	सीएमए सोमा बनर्जी	सीएमए डॉ. देबाप्रसन्ना नंदी	
	अपर निदेशक – वित्त	सचिव (कार्यवाहक))	
आशीष कुमार मुखोपाध्याय			
भागीदार	सीएमए नीरज धनंजय जोशी	सीएमए टीसीए श्रीनिवास प्रसाद	
सदस्यता सं. : 056359	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष	
स्थान : कोलकाता			
तारीख : 21 जुलाई 2026			

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)		
टिप्पणी सं. 1 : सामान्य निधि		
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
4,900,868,551	विगत लेखाओं के अनुसार शेष	5,475,356,119
40,210,004	जोड़ें - कोयंबटूर चैप्टर भूमि पूंजीकृत	-
25,489,388	जोड़ें - बड़ौदा चैप्टर भूमि पूंजीकृत	-
4,966,567,943		5,475,356,119
-	घटाएं- निधि व्यय चार्ज (सीएएस)	996,583
4,966,567,943		5,474,359,536
65,699,392	घटाएं- चैप्टर के भवन/ भूमि के लिए समायोजन	-
3,075,404	जोड़ें : प्रवेश शुल्क (सदस्य)	3,593,608
4,903,943,955		5,477,953,144
571,412,164	जोड़ें : आय और व्यय विवरण के अनुसार वर्ष के लिए सरप्लस	912,992,223
5,475,356,119		6,390,945,367

टिप्पणी सं. 2:**कर्मचारी उपदान निधि**

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
2,242,028	विगत लेखे के अनुसार शेष	2,608,441
91,968	जोड़ें : वर्ष के लिए अंशदान	97,405
2,333,996		2,705,846
57,675	जोड़ें : वर्ष के दौरान सावधि जमा पर अर्जित व्याज	67,425
(216,770)	घटाएं : वर्ष के दौरान उपदान निधि को अंतरित	19,619
2,608,441		2,753,652

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)		
टिप्पणी सं. 3: विविध पुरस्कार निधि		
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
13,325,226	विगत तुलन पत्र के अनुसार शेष	13,691,273
-	जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	257,343
587,580	जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़ी गई आय	413,538
(221,533)	घटाएं: पुरस्कार की लागत	(192,012)
13,691,273		14,170,142
टिप्पणी सं. 4: अन्य निधि		
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
2,831,522	भवन निधि	11,848,650
4,597,251	पुस्तकालय निधि	3,645,322
6,947,482	विविध निधि	3,298,636
14,376,255		18,792,608

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान <u>वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)</u>		
टिप्पणी सं. 5: चालू देयताएं		
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
1,178,600	पुस्तकालय जमा	1,202,900
120,905,318	व्यापार प्राप्त्य	102,608,660
26,753,700	क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के पास चालू खाता	17,350,036
242,171,251	अन्य देयताएं	241,404,200
1,341,327	हितकारी निधि के सदस्यादस्यों को देय	683,299
19,097,183	टी डी एस देय	15,200,270
840,205	जी एस टी देय	1,121,571
412,287,584		379,570,935
टिप्पणी सं. 6: प्रावधान		
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
16,290,930	प्रावधान	14,600,059
16,290,930		14,600,059

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां**

टिप्पणी सं. 7:

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर एवं अमूर्त परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास/ ऋण परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	प्रारंभिक लागत 01.04.2025	अवधि के दौरान वृद्धि	कमी : अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	दिनांक 31.03.2026 की कुल स्थिति	दिनांक 01.04.2025 तक	वर्ष के लिए	जोड़ें/ (घटाएं) : वर्ष के दौरान मूल्यहास समायोजन	दिनांक 31.03.2026 तक	दिनांक 31.03.2026 की स्थिति	दिनांक 31.03.2026 की स्थिति
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
क. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर :										
फ्रीहोल्ड भूमि	348,605,716			348,605,716	-	-		-	348,605,716	348,605,716
लीजहोल्ड भूमि	64,892,899	-		64,892,899	13,014,184	832,057		13,846,241	51,046,658	51,878,715
फ्रीहोल्ड भवन	811,208,554	2,941,247		814,149,801	515,604,436	29,792,645	(86,024)	545,311,057	268,838,744	295,604,118
फर्नीचर एवं फिटिंग	103,761,672	4,517,918		108,279,590	59,576,198	4,832,657	(889,101)	63,519,754	44,759,836	44,185,474
पुस्तकालय पुस्तकें	13,587,614	127,596		13,715,210	12,909,569	374,879	(202,412)	13,082,037	633,173.35	678,045.00
कार्यालय उपस्कर	122,598,912	8,544,479		131,143,391	83,969,510	6,973,589	(410,397)	90,532,702	40,610,688	38,629,402
जनरेटर	17,193,097	220,924		17,414,021	13,539,821	613,800	(37,129)	14,116,492	3,297,529	3,653,276
लिफ्ट	20,850,331			20,850,331	12,786,493	1,209,576	(1)	13,996,068	6,854,263	8,063,838
मोटर कार	4,102,961	-	(1,202,510)	2,900,451	1,665,618	242,945	(384,805)	1,523,759	1,376,692	2,437,343

कंप्यूटर	90,408,240	9,003,837		99,412,077	72,183,787	11,891,372	(2,258,079)	81,817,080	17,594,997	18,224,453
साइकल	8,368			8,368	8,368			8,368	-	-
कुल क	1,597,218,364	25,356,000	(1,202,510)	1,621,371,854	785,257,984	56,763,520	(4,267,948)	837,753,557	783,618,298	811,960,380
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां:										
साफ्टवेयर	43,925,310	2,725,401	(900,000)	45,750,711	42,417,972	651,672	(45,457)	43,024,187	2,726,525	1,507,338
कुल ख	43,925,310	2,725,401	(900,000)	45,750,711	42,417,972	651,672	(45,457)	43,024,187	2,726,525	1,507,338
सकल योग	1,641,143,674	28,081,402	(2,102,510)	1,667,122,566	827,675,956	57,415,192	(4,313,405)	880,777,744	786,344,822	813,467,718
विगत वर्ष	1,472,865,863	170,045,857	(1,768,046)	1,641,143,674	773,309,451	55,669,392	(1,302,886)	827,675,956	813,467,718	
पूँजीगत - कार्य प्रगति पर	101,935,921	33,540,685		135,476,606					135,476,606	101,935,921

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 8

गैर- चालू निवेश (लागत पर)

अनकोटेड निवेश

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
	सहकारी न्यास के शेयर :	
500	निम्नलिखित में 10/- प्रत्येक के 50 (विगत वर्ष 50) शेयर :	500
	रोहित चैम्बर्स प्रीमिसिस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई	
	(विगत में जय वृंदावन प्रीमिसिस ट्रस्ट फंड, बॉम्बे)	
110,000,000	इंसोल्वेंसी एजेंसी ऑफ आईसीएआई में निवेश	110,000,000
	10 रु प्रत्येक के 1,10,00,000 (विगत वर्ष 1,10,00,000 की संख्या में) चुकता शेयर)	
1,100,000	आईसीएमएआई - पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन में निवेश 1,10,000 (विगत वर्ष में 1,10,000)	1,100,000
-	आईसीएमएआई – सोशल ऑडिटर्स आर्गेनाइजेशन में निवेश- 10 रु प्रत्येक के 1,10,000 (विगत वर्ष में शून्य शेयर)	1,000,000
50,647	- अन्य	50,647
111.151.147		112.151.147

टिप्पणी सं. 9:

वस्तुसूचियां

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
1,556,354	- प्रकाशन स्टॉक	1,532,056
3,184,089	- विवरणिका स्टॉक सहित अध्ययन सामग्री	9,326,418
1,742,842	- अन्य सामग्रियों का स्टॉक	2,058,435
6,483,285		12,916,909

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 10:

व्यापार प्राप्य

(अनकोटेड, अच्छे समझे गए)

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
39,766,530	व्यापार प्राप्य	55,303,916
39,766,530		55,303,916

टिप्पणी सं. 10 क:

अन्य प्राप्य

(अनकोटेड, अच्छे समझे गए)

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
173,810,320	अन्य प्राप्य	194,359,667
23,221,156	जी एस टी प्राप्य	26,890,048
197,031,476		221,249,716

टिप्पणी सं. 11:

नकदी और नकदी समतुल्य

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
	नकदी और नकदी समतुल्य :	
1,032,73	हाथ में नकदी	816,586
	<u>अनुसूचित बैंकों में शेष :</u>	
132,102,457	चालू खाते में	111,774,988
150,599,421	बचत खाते में	190,388,481
4,303,031,195	बैंकों में सावधि जमा	5,065,179,430
4,586,765,809		5,368,159,485

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 12:
ऋण और अग्रिम
(अप्रतिभूतित, अच्छे समझे गए)

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
20,394,852	अन्य अग्रिम	53,556,240
775,238	कर्मचारियों को त्र्यौहार अग्रिम	701,731
35,389,396	टी डी एस प्राप्य	48,123,037
11,977,346	प्रीपेड व्यय	12,090,546
9,471,885	जमा	14,758,607
78,008,717		129,230,162

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 13 :
सदस्यता और अन्य शुल्क :

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹
44,926,346	वार्षिक सदस्यता शुल्क	43,441,385
9,230,956	सदस्यों के पेशे का प्रमाण पत्र शुल्क	9,740,475
144,996	पुनर्स्थापना शुल्क	396,410
698,074	सदस्यता एवं प्रमाण पत्र शुल्क	620,890
272,875	अन्य आय - सदस्यता	110,538
55,273,247		54,309,698

टिप्पणी सं. 14 :
शिक्षण और अन्य शुल्क :

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹
25,221,666	छात्र पंजीकरण शुल्क	39,880,545
37,139,500	प्रायोगिक प्रशिक्षण / विषय छूट शुल्क	30,220,688
1,152,049,644	शिक्षण शुल्क (उन्नत अध्ययन, बी एफ एस आई और टी आर डी)	1,408,043,764
68,924,962	कैट पाठ्यक्रम आय	90,500,450
2,616,376	कोचिंग पूरी करने के प्रमाण पत्र की पुनः वैधता का शुल्क	1,629,406
1,177,075	विवरणिका की बिक्री	1,159,025
17,902,445	अध्ययन नोट्स की बिक्री	7,915,629
1,305,031,668		1,579,349,507

टिप्पणी सं. 15:

परीक्षा और अन्य शुल्क :

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹
350,221,255	परीक्षा शुल्क	408,803,937
6,635,481	उत्तर पुस्तिका के सत्यापन का शुल्क	9,232,835
541,977	परीक्षा – अन्य आय	994,092
357,398,713		419,030,864

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 16 :

सी पी ई और अन्य कार्यक्रम शुल्क

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
-	सी पी ई कार्यक्रम शुल्क	768,795
-	एम सी बी टी प्राप्तियां	2,771,750
42,278,976	राष्ट्रीय सम्मेलन	53,125,499
23,138,547	आर सी/ चैप्टरों द्वारा आयोजित सी पी ई	16,278,924
65,417,523		72,944,968

टिप्पणी सं. 17 :

ब्याज

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
310,758,776	ब्याज आय	337,402,655
-		-
310,758,776		337,402,655

टिप्पणी सं. 18 :

अन्य आय

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
392,900	विज्ञापन सहित पत्रिका अंशदान	944,858
736,225	प्रकाशन की विक्री	346,015
20,638,197	अन्य आय	11,198,721
627,112	प्राप्त दान	424,668
22,394,434		12,914,262

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी) टिप्पणी सं. 19 : स्थापना व्यय		
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
327,310,610	वेतन एवं भत्ते	341,802,660
8,347,985	कर्मचारी उपदान निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	5,906,041
28,170,719	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	29,385,945
13,392	कर्मचारी हितकारी निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	13,392
6,508,053	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के लिए नियोक्ता का अंशदान	2,455,681
3,468,563	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण – वर्तमान	1,625,619
10,523,136	चिकित्सा व्यय	8,967,740
1,667,263	कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा भत्ता	839,822
1,424,191	आर पी एफ सी प्रशासन और ई डी एल आआई निरीक्षण प्रभार .	1,817,729
1,352,204	प्रशिक्षण और विकास (एच आर डी)	4,296,276
388,786,116		397,110,905

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 20 :

कार्यालय व्यय

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
9,280,142	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	10,622,439
8,747,518	डाक, तार, दूरभाष और फैक्स	8,041,499
14,087,453	विद्युत प्रभार	15,517,914
513,090	जनरेटर व्यय	469,066
2,924,836	दरे एवं कर	3,410,642
389,320	बीमा	394,537
13,806,454	मरम्मत और रखरखाव	20,212,623
1,822,078	कार व्यय	1,697,789
7,820	जमानती जमा राशि पर व्याज	7,820
4,642,621	विधिक प्रभार	2,114,062
362,694	बैंक प्रभार	564,203
7,165,050	कंप्यूटर रखरखाव व्यय	8,502,243
4,629,484	जन संपर्क व्यय	15,358,087
5,971,882	देख रेख संबंधी व्यय	12,566,376
395,421	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	383,689
798,554	प्रतिनिधि शुल्क	890,745
178,000	राजपत्र अधिसूचना	186,000
4,230,750	कर्मचारी कल्याण	4,136,420
9,680,741	किराया	11,953,172
112,882,425	प्रशासनिक व्यय	107,270,657
11,769,225	अध्ययन व्यय	14,168,328
214,285,557		238,468,309

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 21 :

परीक्षा व्यय

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
85,548,473	परीक्षा व्यय	98,902,501
119,662,586	परीक्षक का पारिश्रमिक	142,514,828
84,756,171	परीक्षा केंद्र व्यय	95,028,427
1,804	मौखिक कोचिंग छात्रों के लिए परीक्षा व्यय	456
2,248,262	पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण व्यय	6,950,878
292,217,296		343,397,091

टिप्पणी सं. 22 :

काउंसिल और समिति बैठक व्यय

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
48,147,869	काउंसिल समिति बैठक व्यय	60,069,687
8,987,317	काउंसिल समिति बैठक के अलावा अन्य व्यय	8,490,854
4,584,586	काउंसिल समिति के सदस्यों को टीए डीए	8,020,856
5,486,277	सम्मेलन और बैठक अंतर्राष्ट्रीय	3,423,734
67,206,049		80,005,130

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी) टिप्पणी सं. 23 : चुनाव व्यय		
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹
12,060	ट्रिव्यूनल सहित चुनाव व्यय	8,450
12,060		8,450
टिप्पणी सं. 24 : विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान		
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹
13,558,177	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान	14,396,920
13,558,177		14,396,920
टिप्पणी सं. 25 : सी पी ई कार्यक्रम व्यय और तकनीकी कौशल		
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹
73,792,334	वैश्विक और अन्य शिखर सम्मेलन सहित सी पी ई व्यय	89,908,335
23,662,916	व्यावसायिक विकास	22,138,378
5,631,413	तकनीकी कौशल विकास	5,221,991
103,086,663		117,268,704

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 26 :

कोचिंग व्यय

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹
229,447,844	कोचिंग व्यय	206,970,789
49,411,640	सी ए टी व्यय	36,251,230
7,710,022	उन्नत अध्ययन व्यय और बी एफ एस आई	6,922,699
286,569,506		250,144,718

टिप्पणी सं. 27 :

प्रयुक्त अध्ययन सामग्रियां और विवरणिका

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹
55,313,475	प्रयुक्त अध्ययन सामग्रियां और विवरणिका	51,677,018
1,448,926	प्रयुक्त प्रकाशन स्टॉक	1,361,120
56,762,401		53,038,138

टिप्पणी सं. 28 :

वस्तुसूचियां और अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालना

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹
1,371,854	वस्तुसूचियां और अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालना	3,032,871
1,371,854		3,032,871

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 29 :

अन्य व्यय

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
2,535.978	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	2,661.969
2,645.250	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	1,544.052
18,730.780	यात्रा और वाहन	28,061.785
14,856.580	पत्रिका	5,507.097
22,332.410	एम बी एफ और गंभीर बीमारियों के लिए अंशदान	22,856.487
61,100.998		60,631.390

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 30

**क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आधार**

वित्तीय विवरणों को यथासंशोधित लागत एवं लेखाकार अधिनियम, 1959 के संगत प्रावधानों के अनुसार द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार और जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, प्राप्ति के आधार पर, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लाभकारी संस्था के रूप में तैयार किया जाता है।

इंस्टीट्यूट के वित्तीय विवरणों में दिल्ली स्थित मुख्यालय, कोलकाता कार्यालय, इसके क्षेत्रीय काउंसिल और चैप्टरों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरी समायोजन यदि कोई हो, तो किए जाते हैं।

अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के लिए सूचित की गई परिसंपत्तियों और देयताओं तथा सूचित की गई आय और व्यय की राशियों को ध्यान में रखते हुए, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उन अवधियों में पहचाना जाता है जिनमें परिणामों की जानकारी होती है/ कार्यान्वित होते हैं।

राजस्व मान्यता

(क) सदस्यों से प्रवेश शुल्क

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्कों को सामान्य निधि में जमा किया जाता है।

(ख) छात्र पंजीकरण शुल्क

छात्रों से प्राप्त पंजीकरण शुल्कों को छात्र का पंजीकरण होने और भुगतान प्राप्त होने पर राजस्व आय के रूप में मान्य किया जाता है।

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

(ग) वार्षिक सदस्यता शुल्क

वार्षिक सदस्यता शुल्कों को उस वर्ष में मान्य किया जाता है, जिस वर्ष से वे संबंधित हैं और जब अग्रिम को छोड़कर, भुगतान प्राप्त हो जाता है।

(घ) शिक्षण शुल्क

छात्र का पंजीकरण होने और भुगतान प्राप्त हो जाने पर पोस्टल और मौखिक शिक्षण शुल्कों के संबंध में राजस्व को मान्य किया जाता है।

(ङ.) प्रकाशनों की बिक्री

जब प्रकाशनों को एक निश्चित मूल्य पर उपयोगकर्ता को हस्तांतरित किया जाता है, तो प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्य किया जाता है।

(च) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्कों को उस संगत अवधि (अवधियों) के लिए मान्य किया जाता है जिससे वे संबंधित हैं।

(छ) कार्यक्रम शुल्क

कार्यक्रम शुल्क से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है, जब ऐसी कोई गतिविधि की जाती है।

(ज) ब्याज

बैंकों के पास सावधि जमाओं के संबंध में ब्याज आय को उपार्जित राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए, उपार्जन आधार पर मान्य किया जाता है।

(झ) निवेश आय

निवेश से प्राप्त आय को तब मान्य किया जाता है, जब उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है।

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

व्यय

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, पोस्टल और मौखिक प्रशिक्षण से संबंधित व्यय सहित व्यय को अर्जित आधार पर मान्य किया जाता है:

- (क) चैप्टरों के लिए वार्षिक अनुदानों को दावों के आधार पर अर्जित आधार पर मान्य किया जाता है।
- (ख) चुनाव व्यय उस वित्तीय वर्ष में मान्य किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को, लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है। लागत में क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को उसके अपेक्षित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने से संबंधित कोई अन्य लागत शामिल होती है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल है, जिसकी लागत में से संचित परिशोधन और निवल क्षति, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है।

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया गया व्यय, जो अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उसे 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के अंतर्गत लागत में से हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है।

मूल्यह्रास/ परिशोधन

- (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/ परिशोधन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।
- (ख) पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया जाता है। पट्टे पर दी गई भूमि के अधिग्रहण के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। भूमि का किराया, यदि कोई हो, उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जिसके लिए ऐसे शुल्क देय अथवा देय होते हैं।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 30

- (ग) पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए, जिस वर्ष में इनकी खरीद की गई है, उस वर्ष में 40% की दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

निवेश

गैर- चालू निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है। तथापि, जब दीर्घकालिक निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट आती है, तो गिरावट को मान्य करने के लिए निहित राशि को कम कर दिया जाता है।

वस्तुसूची

प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्री और विवरणिका स्टॉक सहित पेपर स्टॉक आदि का मूल्यांकन लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री की लागत भारित औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है और पेपर की लागत पहले आओ, पहले जाओ (एफ आई एफ ओ) के आधार पर निर्धारित की जाती है।

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(क) किसी प्रावधान को तब मान्य किया जाता है:

- i. जब विगत आयोजन के कारण वर्तमान बाध्यता हो;
- ii. जब यह सम्भावना हो कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी; और
- iii. जब बाध्यता की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ख) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान मान्य नहीं है:

- i. ऐसी कोई भी संभावित बाध्यता, जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न हुई हो और जिसकी मौजूदगी की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या न होने से ही होगी, जो कि इंस्टीट्यूट के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं;

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 30

- ii. कोई भी वर्तमान बाध्यता, जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न हुई हो, लेकिन मान्य नहीं हो, क्योंकि यह संभावना नहीं है कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों का प्रवाह आवश्यक होगा या बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसी बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है। इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाता है और बाध्यता के केवल उस भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों का प्रवाह संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्य नहीं किया जाता है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में लेन-देन, लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर अंकित किए जाते हैं। मौद्रिक मदों की सूचना, तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित समापन दर का उपयोग करके की जाती है। आरंभ में दर्ज/ सूचित की गई मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय दर में अंतर को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में आय/ व्यय के रूप में, जैसा भी मामला हो, मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

कर्मचारी लाभ

(क) अल्प कालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को व्यय के रूप में तब मान्य किया जाता है, जब उस अवधि के दौरान दावा किया गया हो। दावा न की गई राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 30

(ख) रोजगार उपरांत के लाभ

भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि जैसे रोजगार उपरांत के लाभ, मुख्यालय और दिल्ली कार्यालय तथा केंद्रीय शिक्षा संस्थानों (सीओई) के लिए लागू किए गए हैं।

परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर परिसंपत्तियों के निहित मूल्य की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। यदि इन परिसंपत्तियों की निहित राशि उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो क्षति को मान्य किया जाता है।

आय पर कर

इंस्टीट्यूट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ धारा 12क के अंतर्गत आयकर से छूट प्रदान की गई है, अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

पूर्व अवधि की आय/ व्यय

एक या अधिक पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई त्रुटियों या चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होने वाली अवधि पूर्व की मदों को आय और व्यय विवरण में अलग से प्रकट किया जाता है।

जी एस टी अप्रयुक्त शेष बट्टे खाते डालना

दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त रहे जी एस टी इनपुट क्रेडिट की शेष राशि को आय और व्यय खाते में डाला जाता है।

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

ख. लेखाओं की टिप्पणियां

1. इंस्टीट्यूट के समेकित वित्तीय विवरणों को दिल्ली मुख्यालय, कोलकाता कार्यालय, चार क्षेत्रीय काउंसिल और एक सौ सात चैप्टरों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। कच्छ-गांधीधाम, वारंगल, सातवाहन, चंद्रपुरा और मुजफ्फरपुर नामक पांच चैप्टरों के वित्तीय विवरण प्राप्त न होने के कारण, चालू वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किए गए हैं। तथापि, वित्तीय विवरणों में इन चैप्टरों के लिए उपलब्धता के अनुसार विगत वर्ष के आंकड़े, शामिल हैं।

2. दिल्ली मुख्यालय, कोलकाता कार्यालय और सी. ओ. ई. के संबंध में:

क) आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धता (जिसका प्रावधान नहीं किया गया है)

- i) इंस्टीट्यूट के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में मान्य नहीं किए गए हैं:

वित्त अधिनियम, 1994 और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार, ₹ 5,01,68,756/- (विगत वर्ष में ₹ 5,01,68,756/-) की सेवा कर की मांग के साथ ₹ 5,01,68,756/- (विगत वर्ष में ₹ 5,01,68,756/-) का लागू ब्याज दंड भी देय है, जिसके लिए ₹ 37,62,657/- (विगत वर्ष में ₹ 37,62,657/-) की राशि, जो मांग का 7.5% है, का भुगतान किया जा चुका है और उसे "ऋण और अग्रिम" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है। इंस्टीट्यूट ने इस मांग के खिलाफ अपील दायर की है, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है।

- ii) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:

पूंजीगत लेखाओं पर परी की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम को घटाकर): ₹ 26,96,19,621/- (विगत वर्ष : शून्य)

- ii) अन्य प्रतिबद्धताएं:

नीति के अनुसार, कर्मचारियों को बिल जमा करने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है, जो नीति में उल्लिखित सीमाओं के अधीन होता है। नीति की शर्तों के अनुसार, उपयोग न की गई राशि को 4 वर्ष की अवधि के लिए जमा करके रखा जा सकता है।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 30

दिनांक 31 मार्च 2026 तक, कर्मचारियों के खाते में जमा उपयोग न की गई राशि ₹29,98,797 थी (विगत वर्ष यह राशि ₹27,48,333 थी)।

ख) इंस्टीट्यूट द्वारा रख रखाव की जाने वाली सभी पुरस्कार निधि विभिन्न दानदाताओं द्वारा प्रायोजित की गई हैं और काउंसिल के निर्णय के अनुसार, बैंकों के साथ सावधि जमा में संबंधित निवेश वाले खातों में शामिल की गई हैं।

ग) निवेश (इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं)

i) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में निवेश में ₹ 10/- प्रति शेयर के 6 शेयर शामिल हैं, जो इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं हैं, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नामितियों के नाम पर हैं।

ii) आई सी एम ए आई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन में निवेश में 10/- रुपये प्रति शेयर का 1 शेयर शामिल है, जो इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नामितियों के नाम पर है।

iii) आई सी एम ए आई सोशल ऑडिटर आर्गेनाइजेशन में निवेश में 10/- रुपये प्रति शेयर का 1 शेयर शामिल है, जो इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नामितियों के नाम पर है।

घ) ₹ 285,31,65,266/- की सावधि जमा (विगत वर्ष ₹ 225,09,30,649/-)।

ड.) अन्य अग्रिम में ₹ 1,36,097/- (विगत वर्ष ₹ 1,36,097/-) शामिल हैं, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण काउंसिल के एक पूर्व सदस्य से वसूले जाने हैं; यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

च) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित) ₹ 5,78,725/- (विगत वर्ष ₹ 5,12,710/-) - इसमें क्षेत्रीय काउंसिल और चैप्टर्स का सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क शामिल नहीं है।

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

- छ) सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के अनुसार, उपदान से जुड़ी देनदारी को समूह उपदान नीति के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम में किए गए अंशदान के आधार पर माना जाता है।
- ज) अवकाश नकदीकरण से जुड़ी देनदारी को भारतीय जीवन बीमा निगम के पास रखे गए स्वीकृत अवकाश नकदीकरण कोष में किए गए अंशदान के आधार पर माना जाता है।
- झ) भविष्य निधि का अंशदान दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से भविष्य निधि प्राधिकरण (ई पी एफ ओ) को भेजा और जमा किया जाता है।
- ञ) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई धनराशि ₹ 36,35,000/- (विगत वर्ष : ₹ 36,35,000) की राशि अभी भी "ऋण और अग्रिम" शीर्ष के तहत "पुणे भवन के लिए अग्रिम" के रूप में दर्ज है और इसे "पूँजीगत अनुदान" नहीं माना जा रहा है।
- ट) वर्ष के दौरान अदावा वाली देनदारी (सी ए टी कंप्यूटर शेयर) के संबंध में ₹ 5,47,63,800/- (विगत वर्ष: ₹ 50,50,000/-) की राशि पुनरांकित की गई है। यह राशि काफी समय से पुस्तकों में बकाया थी और अब प्रबंधन इसे भुगतान योग्य नहीं मानता है, इसलिए इसे 'पूर्व अवधि की आय' में जमा किया गया है।
- ठ) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, ₹ 1,56,77,503/- (विगत वर्ष: ₹ 2,15,19,024/-) की जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि, जिसका उपयोग नहीं हुआ था, उसे 'आय और व्यय विवरण' में चार्ज किया गया है।
- ड) दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, इंस्टीट्यूट के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, यथा संशोधित "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को देय ब्याज सहित कोई राशि नहीं है।

3. ई आई आर सी के संबंध में :

- क) आय और व्यय के विवरण में प्रकट की गई पूर्व अवधि की मदों में निम्नलिखित शामिल हैं:

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

पूर्व अवधि की आय :

i)	विगत वर्ष के संबंध में कंप्यूटर अनुदान :	₹5,00,000.00
ii)	विगत वर्ष के संबंध में छात्रों की सुविधाओं पर खर्च :	₹20,070.00
	कुल :	₹5,20,070.00

पूर्व अवधि के व्यय :

i)	विगत वर्ष के संबंध में प्री-प्लेसमेंट ओरिएंटेशन (ए एस टी पी) प्रोग्राम का व्यय :	₹24,309.80
ii)	विगत वर्ष के कार किराए का खर्च :	₹3,420.00
	कुल :	₹27,729.00

ख) इंटर-यूनिट लेन देन से उत्पन्न ₹ 1,61,27,371.25 की निवल शेष राशि, जो दस वर्ष से अधिक समय से बिना मिलान के पड़ी हुई थी, उसका मिलान कर लिया गया है और इस वर्ष उसे बड़े खाते में डाल कर सामान्य निधि से समायोजित कर दिया गया है।

ग) लागत लेखाकारों के अंडमान विस्तार पटल से जुड़े ₹ 2,71,698.36 के विविध लेनदारों की राशि को पुनरांकित कर दिया गया है, क्योंकि यह अभी ई आई आर सी से संबंधित नहीं है।

4. एन आई आर सी के संबंध में :

i) भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन और समूह योजना विभाग से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, एन आई आर सी ने अपनी लेखा पुस्तकों में ₹ 36,93,893.35 की ग्रेच्युटी की देनदारी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक इस देनदारी का भुगतान भी नहीं किया गया था। इसके अलावा, मूल्यांकन केवल 4 कर्मचारियों के लिए किया गया था, जबकि संगठन में 6 कर्मचारी हैं, जिनमें से 1 कर्मचारी वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हो गया है।

सांविधिक देयताएं :

ii) वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए ई पी एफ ओ का बकाया भुगतान, जिसमें दिनांक 17 अप्रैल, 2023 के पत्र डीएलसीपीएम/17428/सीओएमपी/III/3 के तहत धारा 7क के

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 30

अंतर्गत बकाया राशि और जुर्माने के तौर पर ई पी एफ ओ को देय ₹ 1,62,244 शामिल हैं, जो 31.03.2026 तक बकाया है।

इसके अलावा, ई पी एफ ओ द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त मांगों की गई हैं:

- क) संदर्भ संख्या डीएल-17428/सीओएमपी-II/7सी/4, दिनांक 16.10.2026 - ₹ 1,38,084 (जून 2011 से सितंबर 2016 की अवधि के लिए)।
- ख) संदर्भ संख्या डीएल -17428/सीओएमपी-II/14B और 7Q/3, दिनांक 16.04.2026 - ₹ 5,14,563 और ₹ 3,09,355 (अगस्त 2022 से जून 2024 की अवधि के लिए)।
इन मांगों का प्रबंधन द्वारा मिलान किया जा रहा है और अंतिम निर्णय होने तक वित्तीय विवरण में कोई समायोजन नहीं किया गया है।
- iii) ऋण, अग्रिम और व्यापार प्राप्त के संबंध में दिनांक 31.03.2026 की स्थिति अनुसार कुछ शेष की पुष्टि अभी भी लंबित है।

5. डब्ल्यू आई आर सी के संबंध में :

- क) एफ डी ए पी एल से ₹ 67,30,000/- के प्राप्य दावे, जो वर्तमान परिसंपत्तियों में दर्शाए गए हैं और ₹ 15,69,507/- के आस्थगित व्यय, जो ऋण, अग्रिम और जमा में दर्शाए गए हैं, न्यायाधीन हैं।
- ख) वसूली योग्य प्रावधानों की राशि ₹ 4,20,707/- - चालू देनदारियां, जो वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) द्वारा अनुमोदित किए जाने पर पुनरांकित (राइट बैक) की जाएगी, क्योंकि वे देय नहीं हैं। इसी प्रकार, यही राशि मुख्यालय के खाते में प्राप्य के रूप में शामिल की गई है, जिसे भी वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) द्वारा अनुमोदन किए जाने के अध्यक्षीन बट्टे खाते (राइट ऑफ) में डाला जाएगा।

6. एस आई आर सी के कोचीन चैप्टर के संबंध में :

आकस्मिक देयता

- क) वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक सब कोर्ट आदेश जारी किया गया था। ये मामले सी एफ ई द्वारा किए गए निर्माण के कारण अपने भवन को हुए नुकसान का दावा

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 30

करते हुए सी एफ ई के पड़ोसियों द्वारा दायर किए गए थे। आदेश की राशि ₹ 19,38,785 है, जिसमें ₹ 13,00,000 मुआवज़ा और ₹ 6,38,755 ब्याज के रूप में शामिल हैं। चैप्टर ने इस आदेश के खिलाफ एर्णाकुलम जिला न्यायालय में अपील दायर की, साथ ही एक स्थगन याचिका भी दायर की गई और जिला न्यायालय, एर्णाकुलम ने इस शर्त पर आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी कि चैप्टर द्वारा मुआवज़े और ब्याज को कवर करने के लिए एक बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार, मुआवज़े के लिए ₹ 15,00,000 और अद्यतन ब्याज के लिए ₹ 5,43,885 की राशि की दो बैंक गारंटी जारी की गई और न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिला न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है और इसलिए इंस्टीट्यूट ने माननीय केरल उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया है। मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार, मामला अब मुख्यालय को सौंप दिया गया है और मुख्यालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही है। मुख्यालय ने अपील की कार्यवाही शुरू कर दी है। चूंकि अपील अभी प्रारंभिक चरण में है, अतः अंतिम परिणाम की कोई निश्चित संभावना नहीं है। बैंक गारंटी निचली अदालतों के निर्देशों के अनुसार मान्य है। अतः इस स्तर पर आकस्मिक देयताओं का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

- ख) चैप्टर द्वारा चालिक्कावट्टम, ग्रामीण वायानसाला रोड, बिटिल्ला, एर्णाकुलम में भवन निर्माण के लिए दिए गए कार्य अनुबंधों के मामले में, अनुबंधकर्ता उन कार्यों के लिए कर कटौती के लिए उत्तरदायी है जिनमें सामग्री की आपूर्ति और श्रम दोनों शामिल होती हैं। कोचीन चैप्टर भुगतान किए जाने से पहले ठेकेदारों से कार्य अनुबंध कर की कटौती करने और भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि संबंधित ठेकेदारों से फॉर्म नंबर 1ईई में प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है। ₹ 75,80,762/- की राशि के कार्य अनुबंधों के मामले में फॉर्म 1ईई प्राप्त नहीं किया जाता है। उपरोक्त पर कार्य अनुबंध कर देयता ₹ 6,06,461/- + ब्याज होगी। चैप्टर ने डब्ल्यू सी टी पंजीकरण नहीं लिया है, क्योंकि सभी ठेकेदार कर विभाग के पास पंजीकृत हैं और फॉर्म 1ईई जमा करने के लिए सहमत हुए हैं। चैप्टर ने ₹ 4,67,057/- की राशि अपने पास रख ली है, जो 1ईई से संबंधित देयताओं को पूरा करने के बाद ही ठेकेदारों को जारी की जाएगी।
7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 12क के तहत आयकर से छूट दी गई है। इसलिए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए भी किसी प्रावधान की ज़रूरत नहीं समझी गई है।

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

8. वित्तीय विवरणों के समेकन के समय क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों से संबंधित आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां की गई हैं।
9. चालू वर्ष के वर्गीकरण/ प्रकटीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक हो, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी सं. 1 से 30 के लिए हस्ताक्षर

सीएमए सोमा बनर्जी
अपर निदेशक – वित्त

सीएमए डॉ. देबाप्रसन्ना नंदी
सचिव (कार्यवाहक)

सीएमए नीरज धनंजय जोशी
उपाध्यक्ष

सीएमए टीसीए श्रीनिवास प्रसाद
अध्यक्ष

दिनांक : 21 जुलाई 2026
स्थान : कोलकाता

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक खातों की प्राप्ति की स्थिति			
पश्चिमी क्षेत्र		दक्षिणी क्षेत्र	
क्र. सं.	क्षेत्र और चैप्टर का नाम	क्र. सं.	क्षेत्र और चैप्टर का नाम
1	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय काउंसिल	1	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय काउंसिल
2	आई सी एम ए आई का अहमदाबाद चैप्टर	2	आई सी एम ए आई का बेंगलुरु चैप्टर
3	आई सी एम ए आई का बड़ौदा चैप्टर	3	आई सी एम ए आई का कोचीन चैप्टर
4	आई सी एम ए आई का भरूच-अंकलेश्वर चैप्टर	4	आई सी एम ए आई का कोयंबटूर चैप्टर
5	आई सी एम ए आई का भिलाई चैप्टर	5	आई सी एम ए आई का डिंडीगुल चैप्टर
6	आई सी एम ए आई का भोपाल चैप्टर	6	आई सी एम ए आई का इरोड चैप्टर
7	आई सी एम ए आई का बिलासपुर चैप्टर	7	आई सी एम ए आई का गोदावरी चैप्टर
8	आई सी एम ए आई का छत्रपति संभाजीनगर चैप्टर	8	आई सी एम ए आई का होसूर चैप्टर
9	आई सी एम ए आई का गोवा चैप्टर	9	आई सी एम ए आई का हैदराबाद चैप्टर
10	आई सी एम ए आई का इंदौर चैप्टर	10	आई सी एम ए आई का कोट्टायम चैप्टर
11	आई सी एम ए आई का कल्याण-अंबरनाथ चैप्टर	11	आई सी एम ए आई का कोन्निकोड-मलप्पुरम चैप्टर
12	आई सी एम ए आई का कोल्हापुर चैप्टर	12	आई सी एम ए आई का मद्रुरै चैप्टर
13	आई सी एम ए आई का कच्छ-गंधीधाम चैप्टर #	13	आई सी एम ए आई का मंगलुरु चैप्टर
14	आई सी एम ए आई का नागपुर चैप्टर	14	आई सी एम ए आई का मैसूरु चैप्टर
15	आई सी एम ए आई का नासिक चैप्टर	15	आई सी एम ए आई का नेल्लो-पले सिटी चैप्टर
16	आई सी एम ए आई का नवी मुंबई चैप्टर	16	आई सी एम ए आई का नेल्लोर चैप्टर
17	आई सी एम ए आई का पिंपरी-चिंचवड चैप्टर	17	आई सी एम ए आई का नेवेली चैप्टर
18	आई सी एम ए आई का पुणे चैप्टर	18	आई सी एम ए आई का पलक्कड चैप्टर
19	आई सी एम ए आई का रायपुर चैप्टर	19	आई सी एम ए आई का पांडिचेरी चैप्टर
20	आई सी एम ए आई का सोलापुर चैप्टर	20	आई सी एम ए आई का रानीपेट-वेल्लोर चैप्टर
21	आई सी एम ए आई का सूरत-दक्षिण गुजरात चैप्टर	21	आई सी एम ए आई का सेलम चैप्टर
22	आई सी एम ए आई का ठाणे चैप्टर	22	आई सी एम ए आई का सातवाहन चैप्टर #
23	आई सी एम ए आई का वापी-दमन-सिलवासा चैप्टर	23	आई सी एम ए आई का त्रिशूर चैप्टर
		24	आई सी एम ए आई का तिरुचिरापल्ली चैप्टर
		25	आई सी एम ए आई का तिरुपति चैप्टर
		26	आई सी एम ए आई का त्रिवेंद्रम चैप्टर
		27	आई सी एम ए आई का उक्कुनगरम चैप्टर
		28	आई सी एम ए आई का विजयवाड़ा चैप्टर
		29	आई सी एम ए आई का विशाखापत्तनम चैप्टर
		30	आई सी एम ए आई का वारंगल चैप्टर #

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

पूर्वी क्षेत्र		उत्तरी क्षेत्र	
क्र. सं.	क्षेत्र और चैप्टर का नाम	क्र. सं.	क्षेत्र और चैप्टर का नाम
1	पूर्वी भारत क्षेत्रीय काउंसिल	1	उत्तरी भारत क्षेत्रीय काउंसिल
2	आई सी एम ए आई का अगरतला चैप्टर	2	आई सी एम ए आई का आगरा-मथुरा चैप्टर
3	आई सी एम ए आई का अंगुल चैप्टर	3	आई सी एम ए आई का अजमेर-भीलवाड़ा चैप्टर
4	आई सी एम ए आई का आसनसोल चैप्टर	4	आई सी एम ए आई का व्यावर चैप्टर
5	आई सी एम ए आई का बालासोर चैप्टर	5	आई सी एम ए आई का भिवानी चैप्टर
6	आई सी एम ए आई का बांकुरा चैप्टर	6	आई सी एम ए आई का बीकानेर-झुंझुनू चैप्टर
7	आई सी एम ए आई का भुवनेश्वर चैप्टर	7	आई सी एम ए आई का चंडीगढ़-पंचकूला-मोहाली चैप्टर चैप्टर
8	आई सी एम ए आई का बोकारो स्टील सिटी चैप्टर	8	आई सी एम ए आई का देहरादून चैप्टर
9	आई सी एम ए आई का चंद्रपुरा चैप्टर #	9	आई सी एम ए आई का फरीदाबाद चैप्टर
10	आई सी एम ए आई का कटक चैप्टर	10	आई सी एम ए आई का गाजियाबाद चैप्टर
11	आई सी एम ए आई का धनबाद चैप्टर	11	आई सी एम ए आई का गोरखपुर चैप्टर
12	आई सी एम ए आई का डुलियाजान चैप्टर	12	आई सी एम ए आई का ग्रेटर नोएडा चैप्टर
13	आई सी एम ए आई का दुर्गापुर चैप्टर	13	आई सी एम ए आई का गुड़गांव चैप्टर
14	आई सी एम ए आई का गुवाहाटी चैप्टर	14	आई सी एम ए आई का हरिद्वार-ऋषिकेश चैप्टर
15	आई सी एम ए आई का हजारीबाग चैप्टर	15	आई सी एम ए आई का जयपुर चैप्टर
16	आई सी एम ए आई का हावड़ा चैप्टर	16	आई सी एम ए आई का जालंधर चैप्टर
17	आई सी एम ए आई का जमशेदपुर चैप्टर	17	आई सी एम ए आई का जम्मू चैप्टर
18	आई सी एम ए आई का खड़गपुर चैप्टर	18	आई सी एम ए आई का झांसी चैप्टर
19	आई सी एम ए आई का मुजफ्फरपुर चैप्टर #	19	आई सी एम ए आई का जोधपुर चैप्टर
20	आई सी एम ए आई का नैहाटी-इछापुर चैप्टर	20	आई सी एम ए आई का कानपुर चैप्टर
21	आई सी एम ए आई का पटना चैप्टर	21	आई सी एम ए आई का करनाल-पानीपत चैप्टर
22	आई सी एम ए आई का पटना साहिब चैप्टर	22	आई सी एम ए आई का कोटा चैप्टर
23	आई सी एम ए आई का रांची चैप्टर	23	आई सी एम ए आई का लखनऊ चैप्टर
24	आई सी एम ए आई का राउरकेला चैप्टर	24	आई सी एम ए आई का लुधियाना चैप्टर
25	आई सी एम ए आई का संबलपुर चैप्टर	25	आई सी एम ए आई का मेरठ चैप्टर
26	आई सी एम ए आई का सेरामपुर-हुगली चैप्टर	26	आई सी एम ए आई का नया नंगल चैप्टर
27	आई सी एम ए आई का सिलीगुड़ी-गंगटोक चैप्टर	27	आई सी एम ए आई का नोएडा चैप्टर
28	आई सी एम ए आई का दक्षिण ओडिशा चैप्टर	28	आई सी एम ए आई का पटियाला चैप्टर
		29	आई सी एम ए आई का प्रयागराज चैप्टर
		30	आई सी एम ए आई का रेवाड़ी चैप्टर
		31	आई सी एम ए आई का सहारनपुर चैप्टर
		32	आई सी एम ए आई का शिमला चैप्टर
		33	आई सी एम ए आई का सोनीपत चैप्टर
		34	आई सी एम ए आई का श्रीनगर चैप्टर
		35	आई सी एम ए आई का उदयपुर चैप्टर

वर्तमान वर्ष में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**(Statutory Body under an Act of Parliament)****(UNDER THE JURISDICTION OF MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2026

No. G/20-CMA/9/2026.— In pursuance of Sub-Section 5B of Section 18 of the Cost Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 2026 are hereby published for general information.

CMA (Dr.) D. P. NANDY, Secy. (Officiating)

[ADVT.-III/4/Exty./343/2026-27]

67th, ANNUAL REPORT, 2025-26

The Council of the Institute of Cost Accountants of India takes pleasure in presenting this 67th Annual Report giving the achievements and activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the Institute.

Abridged Annual Report 2025-26**Directorate and its Activities****Activities of the Committees/Boards/Cells/ Directorates**✓ **Presidents' Office**

The Office facilitates coordination of various activities on behalf of the President of the Institute with different departments of the Institute as well as external organizations and agencies. While the Office may not be directly involved in the execution of all such activities, it plays a vital role in ensuring seamless coordination, effective communication and timely follow-up among the concerned stakeholders.

✓ **Directorate of Examination**

The Foundation, Intermediate and Final examinations were held in offline centre-based mode in June and December 2025 term. Examination in June was conducted in 186 examination centres including 3 overseas centres and in December in 192 examination centres including 3 overseas centres. The number of examinees for the Foundation examination in both the term were 40,099. The number of examinees for the Intermediate and Final in both the term were 1,79,133.

✓ **Directorate of Studies**

It primarily focuses on student-related activities and is committed to continually enhancing its services. It undertakes various initiatives through both offline and online modes to ensure maximum outreach and support for students.

Presently it operates through its three distinct wings:

(A) Academics

(B) Administration

(C) Training

The Directorate mainly emphasizes on:

1. Students' Statistics
2. Initiatives taken for capacity building through qualitative improvements
3. Support services to the students
4. Educational Institutions affiliated under the National Accreditation Policy of the Institute
5. Social Responsibilities
6. Training
7. Online Mock Test

✓ **Membership Department**

Under the guidance of the Members' Facilities Committee, continued to enhance and streamline its services, throughout the year with a strong focus on digital transformation and member convenience. During the financial year 2025–2026, the Institute admitted 2,620 individuals as Associate Members, while 418 members were elevated to the status of Fellowship, reflecting continued growth of the professional membership base. To facilitate continued digital convenience for members, the Institute continued to strengthen the DIGILOCKER facility, particularly for the issuance of online Members' Identity Cards and the regular weekly processing and granting of memberships.

New Addition:

- With effect from January 2026, all newly admitted Associate Members are being issued a specially curated membership kit, separately designed for male and female members, which has received positive feedback nationwide.
- The Institute has also entered into an agreement with Apollo Hospital in the month of February 2025 to extend healthcare benefit on concessional rate to members and their dependents.
- An agreement with Maruti Suzuki India Ltd., entered in the month of September 2026, enables members to avail special offers on car purchase.
- A collaboration with Lemon Tree Hotels Ltd. in the month of January 2026 provides discounted accommodation facilities for members.

✓ **Directorate of Journal & Publications**

- The Directorate publishes monthly journal "The Management Accountant" and quarterly journal "Research Bulletin" on regular basis.
- The Management Accountant journal is now available in 94 countries across the world and continuously trying to increase the same to other parts of the world.
- The Management Accountant journal is available on third party apps for reading through third parties viz. Magzter and Readwhere and the Directorate is also trying to enlist the same to other platforms mainly at the International Level.
- Formation of Editorial Advisory Team for *The Management Accountant*
- Introduction of a new monthly Journal column, "Applied Insights – A Publication of Case Studies and Management Puzzles," starting from October 2025 issue.
- Participation in Pune Book Festival held from 13th December to 21st December 2025, organized by National Book Trust (NBT)
- Successfully organized Webinars & Workshops and uploaded the same in the Youtube Channel of the Institute.
- Interview of Renowned Personalities

✓ **Information Technology Department**

Over the time, the Institute has begun leveraging emerging technologies viz. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and Cybersecurity solutions, ensuring that its system remains agile and responsive to market changes:

- ERP Implementation at the Institute
- eOffice Implementation at the Institute
- Artificial Intelligence (AI)
- Members Online System
- Research & Journal
- Cooperative Development Board:
- Online Student Registration System
- 62nd NCMAC 2025 at Bhubaneswar & 63rd NCMAC 2026 at Coimbatore
- Redesigning and development of icmai.in website
- CMA National Youth Commerce Olympiad (NYCO) 2025
- Admit Cards & Result Hosting

✓ **Professional Development & CPE Directorate**

- Recognition of CMAs on the Institute's representation
- Representations to Government, PSUs, banks and other organizations
- Mandatory Capacity Building Training (MCBT) for COP holders
- Webinar Series
- MOU of the Institute
- Seminars & Workshops
- Guidelines for members under Continuous Professional Education (CPE) 2024
- Continuous Professional Education (CPE) programmes

✓ **International Affairs Department**

- South Asian Federation of Accountants (SAFA)
- ASEAN Federation of Accountants (AFA)
- Institute of Directors (IOD)
- Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) & International Federation of Accountants (IFAC)
- International Events
- International Webinars

✓ **Technical Cell of the Institute**

- Resolution of Queries
- Presentation on MRP Misrepresentation
- Support to Deputy Director General (Telecom Certification)

✓ **Banking, Financial Services & Insurance Board**

- Representation letters for inclusion of CMAs
- CMAs are in Recruitment
- CMAs are in RFP & Assignment
- Certificate Courses of BFSI
- Webinars

- Physical Events
- Publications
- Regulatory Input — Master Direction for Co-operative Banks

✓ **Sustainability Standards Board**

- Webinars
- Monthly Newsletter titled *Sukhinobhavantu*
- ICMAI Sustainability Standards and Guidance Notes
- Physical Events
- Certificate Course on ESG
- E library

✓ **Management Accounting Committee**

The Management Accounting Committee of the Institute, is continuously making the endeavour to develop best practices and guidance on the relevant topics of Management Accounting that is of high importance to the members in practice, business and industry. The Committee proposes to facilitate communication and sharing of knowledge between the Institute and its members as well as other organizations dealing with Management Accountancy and to take up the task of issuing Management Accounting Guidelines and / or Good Management Accounting Practices on the significant areas of Management Accounting, worldwide.

Three basic features:

- International Management Accounting Day
- Management Accounting Awards
- Webinars

✓ **Cooperative & NPO Development Board (CNDB):**

The Board undertook the following activities during the Year 2025-26:

- Representation Letters
- Co-operative Expo 2025
- Physical Programmes
- Webinars
- Publications
- Meeting with the Ministers and Registrars of Cooperative Societies and Bank Executives in respective States.

✓ **Regional Council & Chapters Coordination Committee**

The Committee headed by CMA Bibhuti Bhusan Nayak as Chairman is comprised of twelve Members (including the Chairman and three co-opted members).

The Committee is tasked with:

- Bridging the gap among Headquarters, Regional Councils & Chapters
- Improving operational efficiencies
- Encouraging Regional Council & Chapters to cooperate with compliance, rules & regulations of the Institute
- Proactively identifying issues and facilitating joint action on cross-cutting issues or issues of shared Concern

Activities of the Committee:

- Region wise Chapters Meets in 2025 - 26
- National Chapters Meet 2026

✓ Career Counselling & Placement Committee

- CMA Campus Placement Programme
- Advanced Skill Training Programme
- Industry Interaction and Corporate Connect
- RISE India Leadership Summit 2026
- CMA National Youth Commerce Olympiad (NYCO) 2025
- 49th International Kolkata Book Fair 2026

✓ Tax Research Department**About the Committees and Task Force**

- Direct Taxation Committee (DTC)
- Indirect Taxation Committee (IDTC)
- Task Force on Income Tax Act, 2025
- Tax Bulletins
- Webinars, Special Webinars and Knowledge Series
- Outreach Programme on Income Tax Act, 2025
- Seminars
- Physical Outreach Programme on GST:
- Quiz Activity
- College and University Courses
- Professional Courses and Classes
- New Courses Launched
- Tax Insights, Research and Policy Advocacy
- Taxation Helpdesk

- Publications etc

✓ Peer Review Board

During the financial year 2025–26, the Peer Review Board continued its efforts to strengthen the quality assurance framework of the profession. The Board held one meeting during the year to oversee and guide peer review activities.

✓ CAT

- CAT Course for retiring/retired Defence Personnel
- 3rd National CAT Students' Convention 2026 of the Institute of Cost Accountants of India
- Fees Waiver Scheme for the Students of North-Eastern States, Jammu & Kashmir and Ladakh in CAT Course
- Career Counselling
- New ROCC
- Examination
- Online Classes

✓ **Public Relations**

- Institute's request to Govt. Ministries and Departments and its follow up
- Media Management
- Inviting VVIP's for Institute's Programmes as Chief Guests on behalf of the institute

✓ **AGRICULTURE COST AND MANAGEMENT BOARD**

The Agriculture Cost Management Board (ACMB) of the ICAI with a primary focus on contributing to the growth and development of the Agricultural Sector in India. ACMB is committed to promoting best practices in cost management and providing guidance to stakeholders in the agricultural sector. key focus areas include Revenue Management & Cost Control, Cost Benefit Analysis, Agricultural Supply Chain Development, Inventory Management, Capacity Building, FPO Management, Networking with public and private institutions engaged in research, academics, commerce and business Enhancing awareness on cost and returns optimization and risk minimization throughout agricultural value chains.

- Diploma in Agricultural Cost Management (DACM) course, a joint initiative of ICAI & IGNOU
- Publication of Research Monograph, Guidance Note on Farmer Producer Organization (FPO) and Agri Bulletin
- Webinar Organized by Agriculture Cost Management Board
- Celebration of National Farmers' Day
- Participation in State Level Bankers' Committee Meeting
- Initiatives for building bonds with Agriculture Universities and conducting seminars

✓ **MSME & START-UP PROMOTION BOARD**

The MSME and Start-Up Promotion Board (MSPB) is a dedicated board of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI) with a primary focus on contributing to the growth and development of the MSME and Start-Up sectors in India. In line with its commitment to fostering the growth of

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Startups, the ICAI founded the MSME and Start-Up Promotion Board. Since its inception, the Board has been actively working towards advancing the MSME sector.

✓ **TASK FORCE FOR INTERACTING WITH TRADE BODIES**

The Institute through its Task Force for Interacting with Trade Bodies, in collaboration with PHD Chamber of Commerce & Industry (PHDCCI), successfully organised a Seminar on the theme "*Cost Competitiveness – A Key Catalyst for Viksit Bharat 2047*" on 24th February 2026 at PHD House, New Delhi.

✓ **TASKFORCE FOR NORTH EAST**

The Institute has a Taskforce for North East (NER) that specifically looks into the activities and initiatives for contributing in the development of the Northeastern Region of the Country.

✓ **Cost Auditing and Assurance Standards Board (CAASB)**

- Know Your Client (KYC) Guidelines
- Incorporation of Declaration in Form M-3
- Code of Ethics for Members
- CMA GPT application on the Cost Auditing Standards
- Revised Standards on Cost Auditing (SCAs)
- Initiatives in Pipeline

✓ **COST ACCOUNTING STANDARDS BOARD (CASB)**

- Technical Guide on Cost Management in Healthcare Services
- Cost Accounting Standard on Valuation of Inventory (CAS-25)
- Technical support to CMA Sri Lanka
- CMA GPT application for the Cost Accounting Standards
- Technical Support to Training for ICoAS Officers
- Presentation on the Role of Cost Accounting in Healthcare Services
- Initiatives in Pipeline

✓ **AI Strategy & Capacity Building Board**

Artificial Intelligence is transforming the way professionals work, analyse information, and make decisions. Recognising its growing relevance to the Cost and Management Accounting profession, the Institute constituted the AI Strategy & Capacity Building Board with the objective of promoting awareness, capacity building, and practical adoption of Artificial Intelligence among members.

✓ **INTERNAL AUDITING AND ASSURANCE STANDARDS BOARD**

The Board consists of representatives from the Council as well as eminent professionals with extensive experience in industry, internal audit, governance, risk management, and assurance.

During the year 2025–26, the Board undertook several significant initiatives to strengthen the internal audit profession and enhance the professional capabilities of Cost Accountants.

✓ **Internal Committee**

Number of complaints of Sexual Harassment received in the year (second complaint received on 26.03.2026)	2
Number of complaints of Sexual Harassment disposed-off in a year	0
Number of cases pending for more than 90 days	0
Nature of action taken by the employer	Ensured compliance

✓ **Financial Intelligence Unit (FIU) Related matters**

- Meetings organised by the FIU-India
- Support to development of National Risk Assessment Document
- Submission of comments

➤ **Committee on Code of Ethics**

The Code serves as a comprehensive framework that sets out the ethical principles, fundamental values, and professional responsibilities expected of the members of the Institute. It reinforces the commitment of the CMA profession to uphold the highest standards of integrity, objectivity, professional competence, due care, confidentiality, accountability, and public trust.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Council,

The Institute of Cost Accountants of India

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Cost Accountants of India ('the Institute') which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2026, the Statement of Income and Expenditure and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies (hereinafter referred to as 'financial statements') in which are incorporated the returns/financial statements audited by the council and chapter auditors/cost accountants of the Institute's Regional Councils and Chapters respectively.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements prepared in all material respects, give the information required by the Cost Accountants Act, 1959 ('the Act'), as amended, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Institute as at 31st March, 2026, its surplus and its cash flows for the year then ended.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following notes:

- i) The Institute is yet to adapt the format of financial statements as specified by the Institute of Chartered Accountants of India for 'Non-Corporate Entities' with effect from 1st April, 2025.

- ii) Opening balances have been considered from the previous year's Audited Accounts as audited by other auditors and is relied upon by us, as the statutory auditors, on the work done by the other auditors
- iii) In respect of Western Indian Regional Council, Claims receivable of Rs. 67,30,000 and Deferred Expenses of Rs. 15,69,507 appearing, which are subject to litigation. The Claims Suspense – FDAPL of Rs. 67,30,000 and Provision for Expenses (comprising Deferred Expenses) represent the same amounts pending the final settlement of the dispute. (Refer Note 30 B. 5 (a) of Notes to financial statements).
- iv) There is a balance of Rs. 1,73,50,036 (Net Credit) shown under Current Accounts with Regional Councils and Chapters, for which reconciliation is under process. (Refer Note 5 of Notes to the financial statements).
- v) Capital Work in Progress amounting to Rs. 4,99,78,350 in respect of Navi Mumbai Centre of Excellence Building at Belapur, for which no further work has been carried out/undertaken since last 7 years.
- vi) The year-end balance confirmations in respect of trade receivables, trade payables and loans & advances etc. have not been received from the parties.
- vii) The financial statements for the year of the Institute do not include the financial statements of five Chapters, as no financial statements have been received from their end. (Refer Note 30 B.1 of Notes to financial statements).

Our opinion has not been modified in respect of these above matters.

Responsibilities of Management and those Charged with Governance for the Financial Statements

Institute's Management and those charged with Governance is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the Act, as amended, This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are also responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

1. (a) We did not audit the financial statements/information of four Regional Councils and one hundred seven Chapters whose financial statements reflect total assets of Rs. 2,727,903,801 as at 31st March, 2026 and total revenue of Rs. 238,798,641 for the year ended 31st March, 2026 and cash and cash equivalents of Rs 2,404,285,124 as at 31st March, 2026 as considered in the financial statements. The financial statements of these Regional Councils have been audited by other auditors, appointed by the respective Regional Councils and the financial statements of these Chapters have been audited by Cost Accountants appointed by Governing Bodies of the Chapter in terms of regulation 133 of the Cost Accountants Act, 1959, and Clause 26 of the Chapter Bye-laws of the Institute, whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these aforesaid Councils and Chapters is based solely on the reports of the other auditors and Cost Accountants respectively.
- (b) The financial statements for the year of the Institute do not include the financial statements of five Chapters, as no financial statements have been received from their end.
- (c) The financial statements for the year of the Institute includes one hundred seven Chapters were audited by Cost Accountants.

Our opinion on the financial statements and our report on Other Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and Cost Accountants, as the case may be.

2. The amount of Rs. 36,35,000 released during financial year 2020-21 is still lying as 'Advance for Pune Building' under the head "Loans & Advances" and not being treated as Capital Grant. (Refer Note 30 B.2 (j) of notes to financial statements).
3. A sum of Rs. 5,47,63,800 has been written back during the year in respect of excess provision made towards expenses, which are no longer considered payable and has been recognised as 'Prior Period Income' in the Statement of Income and Expenditure. (Refer Note 30 B.2 (k) of notes to financial statements).
4. During the year, an amount of Rs. 1,56,77,503 being GST Input credit lying unutilised have been charged to Statement of Income and Expenditure (Refer Note 30 B.2 (l) of notes to financial statements).

Report on Other Regulatory Requirements

Further to our comments in above mentioned paragraphs, we report that:

- a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- b. In our opinion, proper books of account have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper Returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Regions and Chapters not visited by us *read with paragraph 1 of 'Other Matters'*.
- c. The reports on the financial statements of the Regional Councils and Chapters of the Institute audited by the Auditors and Cost Accountants of the respective Regions and Chapters were received by us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
- d. The Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the Regional Councils and Chapters not visited by us.

For RAY& RAY

Chartered Accountants

(Firm's Registration No: 301072E)

Place: Kolkata,

Date: 21st July, 2026

(Asish Kumar Mukhopadhyay)

Partner

Membership No. 056359

UDIN 26056359RDIPUM3412

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA				
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2026				
As At 31st March 2025	PARTICULARS	Note	As At 31st March 2026	
₹			₹	₹
	SOURCES OF FUNDS			
	INSTITUTE FUND			
5,475,356,119	General Fund	1		6,390,945,367
2,608,441	Employees' Gratuity Fund	2		2,753,652
13,691,273	Miscellaneous Prize Fund	3		14,170,142
14,376,255	Other Funds	4		18,792,608
412,287,584	Current Liabilities	5		379,570,935
16,290,930	Provisions	6		14,600,059
5,934,610,602	TOTAL			6,820,832,763
	APPLICATION OF FUNDS			
	Non Current Assets			
811,960,380	a) Property, Plant and Equipment	7		783,618,298
1,507,338	b) Intangible Assets	7		2,726,525
101,935,921	Capital Work In Progress			135,476,606
111,151,147	Investments	8		112,151,147
	Current Assets			
6,483,285	Inventories	9	12,916,909	
39,766,530	Trade Receivables	10	55,303,916	
197,031,476	Other Receivables	10A	221,249,716	
4,586,765,809	Cash and Cash Equivalents	11	5,368,159,485	
<u>78,008,717</u>	Loans and Advances	12	<u>129,230,162</u>	
				5,786,860,188
4,908,055,816				
5,934,610,602	TOTAL			6,820,832,763
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	30		
Accompanying Notes 1-30 form an integral part of the financial statements				
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date. For				
RAY & RAY				
Chartered Accountants				
Firm Regn. No. : 301072E				
CMA Soma Banerjee				
Additional Director -Finance				
CMA Dr. Debaprosanna Nandy				
Secretary (Officiating)				
ASISH KUMAR MUKHOPADHYAY				
Partner				
Membership No. : 056359				
CMA Neeraj Dhananjay Joshi				
Vice President				
CMA TCA Srinivasa Prasad				
President				
Place : Kolkata				
Date : 21st July 2026				

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026			
For the Year ended 31st March 2025	PARTICULARS	Note	For the Year ended 31st March 2026
₹			₹
	INCOME :		
55,273,247	Membership and Other Fees	13	54,309,698
1,305,031,668	Tuition and Other Fees	14	1,579,349,507
357,398,713	Examination and Other Fees	15	419,030,864
65,417,523	C. P.E and Other Programme Fees	16	72,944,968
310,758,776	Interest	17	337,402,655
22,394,434	Other Income	18	12,914,262
2,116,274,361	TOTAL		2,475,951,953
	EXPENDITURE :		
388,786,116	Establishment Expenses	19	397,110,905
214,285,557	Office Expenses	20	238,468,309
292,217,296	Examination Expenses	21	343,397,091
67,206,049	Council and Committee Meeting Expenses	22	80,005,130
12,060	Election Expenses incl. Tribunal	23	8,450
13,558,177	Membership Subscription to Foreign Bodies	24	14,396,920
103,086,663	C. P.E, Technical Skill Development and Other Programme Expenses	25	117,268,704
286,569,506	Coaching Expenses	26	250,144,718
56,762,401	Study Materials and Prospectus Consumed	27	53,038,138
1,371,854	Inventories and bad debts written off	28	3,032,871
61,100,998	Other Expenses	29	60,631,390
55,669,392	Depreciation and amortisation expenses	7	57,415,192
1,540,626,069	TOTAL		1,614,917,819
575,648,292	Balance being excess of Income over Expenditure		861,034,135
4,236,128	Prior Period Adjustments (Net)		(51,958,088)
571,412,164	Balance being Surplus transferred to General Fund		912,992,223
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	30	
Accompanying Notes 1-30 form an integral part of the financial statements			
This is the Statement of Income and Expenditure referred to in our report of even date. For			
RAY & RAY			
Chartered Accountants			
Firm Regn. No. : 301072E			
	CMA Soma Banerjee Additional Director -Finance		CMA Dr. Debaprosanna Nandy Secretary (Officiating)
ASISH KUMAR MUKHOPADHYAY			
Partner			
Membership No. : 056359			
	CMA Neeraj Dhananjay Joshi Vice President		CMA TCA Srinivasa Prasad President
Place : Kolkata			
Date : 21st July 2026			

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2026**

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2026	For the year ended 31st March 2026
₹		₹	₹
	A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
571,412,164	NET SURPLUS AFTER PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	912,992,223	
	ADJUSTMENTS FOR:-		
55,669,392	DEPRECIATION AND AMORTISATION	57,415,192	
627,081,556	OPERATING SURPLUS BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	970,407,415	
	ADJUSTMENTS FOR WORKING CAPITAL CHANGES		
(32,781,127)	INCREASE/(DECREASE) IN CURRENT LIABILITIES	(34,407,519)	
(12,647,493)	(INCREASE)/DECREASE IN CURRENT ASSETS	(97,410,696)	
(45,428,620)		(131,818,215)	
581,652,935	NET CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		838,589,200
	B. CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES		
(127,758,027)	MOVEMENTS IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS INCLUDING CWIP	(6,417,789)	
-	INVESTMENT MADE	(1,000,000)	
(127,758,027)	NET CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES (B)		(7,417,789)
	C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
(56,827,534)	MOVEMENT IN FUND BALANCE	(49,777,735)	
(56,827,534)	NET CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		(49,777,735)
397,067,374	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)		781,393,676
4,189,698,434	ADD- CASH & CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE YEAR		4,586,765,809
4,586,765,809	CASH & CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE YEAR		5,368,159,485

NOTES:-

i. The above Cash Flow Statement has been prepared under 'Indirect Method' as set out in Accounting standard, AS - 3 on "Cash Flow Statement".

₹	ii. Cash and Cash Equivalents represent :(Note 11)	₹	
1,032,735	Cash in hand	816,586	
132,102,457	Bank Balance - Current Account	111,774,988	
150,599,421	Bank Balance - Savings Account	190,388,481	
4,303,031,195	Fixed Deposits	5,065,179,430	
4,586,765,809		5,368,159,485	

This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date.

For **RAY & RAY**

Chartered Accountants
Firm Regn. No. : 301072E

CMA Soma Banerjee
Additional Director -Finance

CMA Dr. Debaprosanna Nandy
Secretary (Officiating)

ASISH KUMAR MUKHOPADHYAY
Partner
Membership No. : 056359

CMA Neeraj Dhananjay Joshi
Vice President

CMA TCA Srinivasa Prasad
President

Place : Kolkata

Date : 21st July 2026

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.) NOTE NO.1 : GENERAL FUND		
As At 31st March 2025 ₹	PARTICULARS	As At 31st March 2026 ₹
4,900,868,551	Balance as per last Accounts	5,475,356,119
40,210,004	Add - Coimbatore Chapter land Capitalised	-
25,489,388	Add - Baroda Chapter land Capitalised	-
4,966,567,943		5,475,356,119
-	Less - Fund expenses charged (CAS)	996,583
4,966,567,943		5,474,359,536
65,699,392	Less- Adjustment for Chapters Building/Land	-
3,075,404	Add : Entrance Fees (Member)	3,593,608
4,903,943,955		5,477,953,144
571,412,164	Add : Surplus for the year as per annexed Statement of Income and Expenditure	912,992,223
5,475,356,119		6,390,945,367
NOTE NO. 2 : EMPLOYEES' GRATUITY FUND		
As At 31st March 2025 ₹	PARTICULARS	As At 31st March 2026 ₹
2,242,028	Balance as per last Account	2,608,441
91,968	Add : Contribution for the year	97,405
2,333,996		2,705,846
57,675	Add : Interest earned on Fixed Deposit during the year	67,425
(216,770)	Less : Transferred to gratuity fund during the year	19,619
2,608,441		2,753,652

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA		
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)		
NOTE NO. 3 :		
MISCELLANEOUS PRIZE FUND		
As At 31st March 2025	PARTICULARS	As At 31st March 2026
₹		₹
13,325,226	Balance as per Previous Balance Sheet	13,691,273
-	Add : Accrued Interest during the year	257,343
587,580	Add : Income credited during the year	413,538
(221,533)	Less : Cost of the prize	(192,012)
13,691,273		14,170,142
NOTE NO. 4 :		
OTHER FUND		
As At 31st March 2025	PARTICULARS	As At 31st March 2026
₹		₹
2,831,522	Building Fund	11,848,650
4,597,251	Library Fund	3,645,322
6,947,482	Miscellaneous Fund	3,298,636
14,376,255		18,792,608

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO.5 :****CURRENT LIABILITIES**

As At 31st March 2025	PARTICULARS	As At 31st March 2026
₹		₹
1,178,600	Library Deposit	1,202,900
120,905,318	Trade Payables	102,608,660
26,753,700	Current Account with Regional Councils and Chapters	17,350,036
242,171,251	Other Liabilities	241,404,200
1,341,327	Payable to Members Benevolent Fund	683,299
19,097,183	TDS Payable	15,200,270
840,205	GST Payable	1,121,571
412,287,584		379,570,935

NOTE NO.6 :**PROVISIONS**

As At 31st March 2025	PARTICULARS	As At 31st March 2026
₹		₹
16,290,930	Provisions	14,600,059
16,290,930		14,600,059

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS****NOTE NO. 7 :****PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT & INTANGIBLE ASSETS**

Description of Assets	Gross Block				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	Opening Cost 01.04.2025	Addition during the period	Less : Sale/ Adjustment during the period	Total as on 31.03.2026	Upto 01.04.2025	For the year	Add/(Less) : Depreciation Adjustment during the year	Upto 31.03.2026	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
A. Property, Plant and Equipment :										
FREEHOLD LAND	348,605,716			348,605,716	-	-		-	348,605,716	348,605,716
LEASEHOLD LAND	64,892,899	-		64,892,899	13,014,184	832,057		13,846,241	51,046,658	51,878,715
FREEHOLD BUILDING	811,208,554	2,941,247		814,149,801	515,604,436	29,792,645	(86,024)	545,311,057	268,838,744	295,604,118
FURNITURE & FITTINGS	103,761,672	4,517,918		108,279,590	59,576,198	4,832,657	(889,101)	63,519,754	44,759,836	44,185,474
LIBRARY BOOKS	13,587,614	127,596		13,715,210	12,909,569	374,879	(202,412)	13,082,037	633,173.35	678,045.00
OFFICE EQUIPMENTS	122,598,912	8,544,479		131,143,391	83,969,510	6,973,589	(410,397)	90,532,702	40,610,688	38,629,402
GENERATORS	17,193,097	220,924		17,414,021	13,539,821	613,800	(37,129)	14,116,492	3,297,529	3,653,276
LIFT	20,850,331			20,850,331	12,786,493	1,209,576	(1)	13,996,068	6,854,263	8,063,838
MOTOR CAR	4,102,961	-	(1,202,510)	2,900,451	1,665,618	242,945	(384,805)	1,523,759	1,376,692	2,437,343
COMPUTER	90,408,240	9,003,837		99,412,077	72,183,787	11,891,372	(2,258,079)	81,817,080	17,594,997	18,224,453
CYCLE	8,368			8,368	8,368			8,368	-	-
TOTAL A	1,597,218,364	25,356,000	(1,202,510)	1,621,371,854	785,257,984	56,763,520	(4,267,948)	837,753,557	783,618,298	811,960,380
B. Intangible Assets :										
SOFTWARE	43,925,310	2,725,401	(900,000)	45,750,711	42,417,972	651,672	(45,457)	43,024,187	2,726,525	1,507,338
TOTAL B	43,925,310	2,725,401	(900,000)	45,750,711	42,417,972	651,672	(45,457)	43,024,187	2,726,525	1,507,338
Grand Total	1,641,143,674	28,081,402	(2,102,510)	1,667,122,566	827,675,956	57,415,192	(4,313,405)	880,777,744	786,344,822	813,467,718
Previous Year	1,472,865,863	170,045,857	(1,768,046)	1,641,143,674	773,309,451	55,669,392	(1,302,886)	827,675,956	813,467,718	
Capital-Work in Progress	101,935,921	33,540,685		135,476,606					135,476,606	101,935,921

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 8 :****NON-CURRENT INVESTMENTS (AT COST)****UNQUOTED**

As At 31st March 2025	PARTICULARS	As At 31st March 2026
₹		₹
	SHARES OF CO-OPERATIVE TRUST :	
500	50 (Previous year 50) Shares of Rs.10/- each in Rohit Chambers Premises Co-operative Society Limited, Mumbai (earlier described as Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay)	500
110,000,000	Investment in Insolvency Professional Agency of ICAI	110,000,000
	1,10,00,000 (Previous year 1,10,00,000 Nos.) of paid up shares of Rs.10 each)	
1,100,000	1,10,000 (Previous year 1,10,000) Investment in ICMA-Registered Valuers Organisation	1,100,000
-	1,00,000 (Previous year NIL) Shares of Rs 10/- each in ICAI Social Auditors Organisation	1,000,000
50,647	- Others	50,647
111,151,147		112,151,147

NOTE NO. 9 :**INVENTORIES**

As At 31st March 2025	PARTICULARS	As At 31st March 2026
₹		₹
1,556,354	- Publication Stock	1,532,056
3,184,089	- Study Material incl. Prospectus Stock	9,326,418
1,742,842	- Stock of Other Material	2,058,435
6,483,285		12,916,909

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 10 :****TRADE RECEIVABLES****(UNSECURED, CONSIDERED GOOD)**

As At 31st March 2025	PARTICULARS	As At 31st March 2026
₹		₹
39,766,530	Trade Receivable	55,303,916
39,766,530		55,303,916

NOTE NO. 10A :**OTHER RECEIVABLES****(UNSECURED, CONSIDERED GOOD)**

As At 31st March 2025	PARTICULARS	As At 31st March 2026
₹		₹
173,810,320	Other Receivables	194,359,667
23,221,156	GST Receivable	26,890,048
197,031,476		221,249,716

NOTE NO. 11 :**CASH AND CASH EQUIVALENTS**

As At 31st March 2025	PARTICULARS	As At 31st March 2026
₹		₹
	Cash and Cash Equivalents :	
1,032,735	Cash in hand	816,586
	<u>Balances with Scheduled Banks :</u>	
132,102,457	On Current Account	111,774,988
150,599,421	On Savings Account	190,388,481
4,303,031,195	Fixed Deposits with Banks	5,065,179,430
4,586,765,809		5,368,159,485

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

NOTE NO.12 :

**LOANS AND ADVANCES
(UNSECURED, CONSIDERED GOOD)**

As At		As At
31st March 2025	PARTICULARS	31st March 2026
₹		₹
20,394,852	Other Advances	53,556,240
775,238	Festival Advance to Employees	701,731
35,389,396	TDS Receivable	48,123,037
11,977,346	Prepaid Expenses	12,090,546
9,471,885	Deposit	14,758,607
78,008,717		129,230,162

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO.13 :****MEMBERSHIP AND OTHER FEES :**

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2026
₹		₹
44,926,346	Annual Membership Fees	43,441,385
9,230,956	Members Certificate of Practice Fees	9,740,475
144,996	Restoration Fees	396,410
698,074	Membership & Certification Fees	620,890
272,875	Other Income - Membership	110,538
55,273,247		54,309,698

NOTE NO.14 :**TUITION AND OTHER FEES :**

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2026
₹		₹
25,221,666	Student Registration Fees	39,880,545
37,139,500	Practical Training/Subject Exemption Fees	30,220,688
1,152,049,644	Tuition Fees (Including Adv studies, BFSI and TRD)	1,408,043,764
68,924,962	CAT Course Income	90,500,450
2,616,376	Revalidation of Coaching Completion Certificates Fees	1,629,406
1,177,075	Sale of Prospectus	1,159,025
17,902,445	Sale of Study Notes	7,915,629
1,305,031,668		1,579,349,507

NOTE NO.15 :**EXAMINATION AND OTHER FEES :**

For the year ended	PARTICULARS	For the year ended
31st March 2025		31st March 2026
₹		₹
350,221,255	Examination Fees	408,803,937
6,635,481	Verification of Answers Paper Fees	9,232,835
541,977	Examination -Other Income	994,092
357,398,713		419,030,864

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO.16 :****C. P.E and Other Programme Fees :**

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2026
₹		₹
-	CPE Programme Fees	768,795
-	MCBT Receipts	2,771,750
42,278,976	National Convention	53,125,499
23,138,547	CPE organised by RC's/Chapters	16,278,924
65,417,523		72,944,968

NOTE NO.17:**INTEREST:**

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2025
₹		₹
310,758,776	Interest Income	337,402,655
-		-
310,758,776		337,402,655

NOTE NO.18 :**OTHER INCOME :**

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2025
₹		₹
392,900	Journal Subscription incl. Advertisement	944,858
736,225	Sale of Publication	346,015
20,638,197	Other Income	11,198,721
627,112	Donation Received	424,668
22,394,434		12,914,262

<u>THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA</u>		
<u>NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)</u>		
NOTE NO.19:		
ESTABLISHMENT EXPENSES		
For the year ended	PARTICULARS	For the year ended
31st March 2025		31st March 2026
₹		₹
327,310,610	Salaries and Allowances	341,802,660
8,347,985	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	5,906,041
28,170,719	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	29,385,945
13,392	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	13,392
6,508,053	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	2,455,681
3,468,563	Employees' Leave Encashment - Existing	1,625,619
10,523,136	Medical Expenses	8,967,740
1,667,263	Leave Travel Allowance to Employees	839,822
1,424,191	RPFC Administration and E.D.L.I. Inspection Charges	1,817,729
1,352,204	Training and Development (H.R.D.)	4,296,276
388,786,116		397,110,905

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO.20 :****OFFICE EXPENSES**

For the year ended		For the year ended
31st March 2025	PARTICULARS	31st March 2026
₹		₹
9,280,142	Printing & Stationery	10,622,439
8,747,518	Postage, Telegrams, Telephones and Fax	8,041,499
14,087,453	Electricity Charges	15,517,914
513,090	Generator Expenses	469,066
2,924,836	Rates and Taxes	3,410,642
389,320	Insurance	394,537
13,806,454	Repair and Maintenance	20,212,623
1,822,078	Car Expenses	1,697,789
7,820	Interest on Caution Money Deposit	7,820
4,642,621	Legal Charges	2,114,062
362,694	Bank Charges	564,203
7,165,050	Computer Maintenance Expenses	8,502,243
4,629,484	Public Relation Expenses	15,358,087
5,971,882	Watch and Ward Expenses	12,566,376
395,421	Books and Periodicals	383,689
798,554	Delegate Fee	890,745
178,000	Gazette Notification	186,000
4,230,750	Staff Welfare	4,136,420
9,680,741	Rent	11,953,172
112,882,425	Administrative Charges	107,270,657
11,769,225	Sundry Expenses	14,168,328
214,285,557		238,468,309

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 21 :****EXAMINATION EXPENSES**

For the year ended		For the year ended
31st March 2025	PARTICULARS	31st March 2026
₹		₹
85,548,473	Examination Expenses	98,902,501
119,662,586	Examiners' Remuneration	142,514,828
84,756,171	Examination Center Expenses	95,028,427
1,804	Examination Expenses for oral coaching Students	456
2,248,262	Convocation & Prize Distribution	6,950,878
292,217,296		343,397,091

NOTE NO. 22 :**COUNCIL AND COMMITTEE MEETING EXPENSES**

For the year ended		For the year ended
31st March 2025	PARTICULARS	31st March 2026
₹		₹
48,147,869	Council Committee Meeting Expenses	60,069,687
8,987,317	Other than Council Committee Meeting Expenses	8,490,854
4,584,586	TA/DA To Council Committee Members	8,020,856
5,486,277	Conference & Meeting International	3,423,734
67,206,049		80,005,130

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO.23 :****ELECTION EXPENSES**

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2026
₹		₹
12,060	Election Expenses incl. Tribunal	8,450
12,060		8,450

NOTE NO.24 :**MEMBERSHIP SUBSCRIPTION TO FOREIGN BODIES**

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2026
₹		₹
13,558,177	Membership Subscription to Foreign Bodies	14,396,920
13,558,177		14,396,920

NOTE NO.25 :**CPE PROGRAMME EXPENSES AND TECHNICAL SKILL**

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2026
₹		₹
73,792,334	CPE Expenses Including global and other summit	89,908,335
23,662,916	Professional Development	22,138,378
5,631,413	Technical Skill Development	5,221,991
103,086,663		117,268,704

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

NOTE NO.26 :

COACHING EXPENSES

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2026
₹		₹
229,447,844	Coaching Expenses	206,970,789
49,411,640	CAT Expenses	36,251,230
7,710,022	Advanced studies Expenses & BFSI	6,922,699
286,569,506		250,144,718

NOTE NO.27 :

STUDY MATERIALS AND PROSPECTUS CONSUMED

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2026
₹		₹
55,313,475	Study Materials and Prospectus Consumed	51,677,018
1,448,926	Publication Stock Consumed	1,361,120
56,762,401		53,038,138

NOTE NO.28 :

INVENTORIES AND BAD DEBTS WRITTEN OFF

For the year ended 31st March 2025	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2026
₹		₹
1,371,854	Inventories and bad debts written off	3,032,871
1,371,854		3,032,871

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

NOTE NO.29 :

OTHER EXPENSES

For the year ended		For the year ended
31st March 2025	PARTICULARS	31st March 2026
₹		₹
2,535,978	Statutory Audit Fees	2,661,969
2,645,250	Internal Audit Fees	1,544,052
18,730,780	Travelling & Conveyance	28,061,785
14,856,580	Journal Expenses	5,507,097
22,332,410	Contribution to MBF & Critical illness	22,856,487
61,100,998		60,631,390

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

Note – 30 (Contd)

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis for preparation of Financial Statements

The Financial Statements are prepared as going concern under the historical cost convention, in accordance with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the relevant provisions of the Cost Accountants Act, 1959, as amended and on accrual basis unless otherwise stated.

The financial statements of the Institute include the financial statements of Headquarters Delhi, Kolkata Office, its Regional Councils and Chapters. Necessary adjustments, if any, are made wherever required.

Use of Estimates

The preparation of the financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known/ materialized.

Revenue Recognition

(a) Entrance Fees from Members

Entrance Fees received from members is credited to General Fund.

(b) Student Registration Fees

Registration Fees received from students is recognized as revenue income as and when the student is enrolled and payment is received.

(c) Annual Members Fees

Annual Members Fees is recognized in the year to which it pertains and when the payment is received except advances.

(d) Tuition Fees

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled and payment is received.

(e) Sale of Publications

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)
Note – 30 (Contd)

(f) Examination Fees

Examination Fees is recognized for the concerned term (s) to which it pertains.

(g) Programme Fees

Revenue from Programme Fees is recognized as and when such activity is undertaken.

(h) Interest

Interest income in respect of fixed deposits with Banks is recognized on accrual basis taking into account the amount accrued and at applicable rate.

(i) Investment Income

Income from Investments is recognized as and when the right to receive the same is established.

Expenditure

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

- (a) The Annual Grants to Chapters are recognized on accrual basis based on claims.
- (b) Election expenses are recognized in the financial year in which it is incurred.

Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and net of impairment, if any. Cost comprises the purchase price and any other cost, attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use.

Intangible Assets

Intangible Assets being computer software are carried at cost less accumulated amortization and net of impairment, if any.

Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work in Progress.

Depreciation/Amortization

- (a) Depreciation/amortization on Property, Plant and Equipment and Intangible Assets is provided on Written Down Value method as per Income Tax Act, 1961.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)
Note – 30 (Contd)

- (b) Leasehold land is amortized over the Lease period. The premium paid for acquisition of Lease hold Land is amortized over the period of lease. The ground rent, if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.
- (c) Library books are depreciated at 40% in the year of purchase.

Investments

Non-Current investments are stated at cost. However, when there is a permanent decline in the value of Non-Current investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

Inventories

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at lower of Cost or Net Realizable Value. Cost of Publications and that of Study Materials is determined on Weighted Average basis and cost of Paper is determined on First-In-First-Out (FIFO) basis.

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- (a) A provision is recognized:
 - i. when there is present obligation as a result of past event;
 - ii. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and
 - iii. a reliable estimate can be made of the amount of obligation.
- (b) No provision is recognized for:
 - i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;
 - ii. any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in financial statements.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)
Note – 30 (Contd)

Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary items are reported by using the closing rate, prevailing at the Balance Sheet date. Differences in the exchange rate arising on the settlement of monetary items initially recorded/reported are recognized as income /expense, as the case may be, in the Statement of Income and Expenditure, in the period in which it arises.

Employee Benefits

(a) Short term benefit

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the year. Unclaimed amount is provided for.

(b) Post-employment benefit

Post-employment benefits such as Provident Fund, Gratuity, Leave Encashment etc. have been provided for, as applicable to Headquarters Delhi, Kolkata Office and COEs.

Impairment of Assets

The carrying value of assets at each Balance Sheet date is reviewed for impairment. Impairment is recognized, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount.

Taxes on Income

The Institute has been granted exemption from Income Tax under section 12A read with section 11 of the Income Tax Act, 1961, as such no provision for income tax is made and no provision for deferred tax asset or liability is considered necessary.

Prior Period income/expenditure

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Statement of Income and Expenditure.

GST Unutilized Balance Written Off

Balance of GST Input Credit as on 31st March, 2026 lying unutilized is charged off to the Statement of Income and Expenditure.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)
Note – 30 (Contd)

B. NOTES TO ACCOUNTS

1. The financial statements of the Institute are prepared considering Headquarters Delhi , Kolkata office, four Regional Councils and one hundred & seven Chapters. Financial statements of five Chapters namely, Kutch-Gandhidham, Warangal, Sathavahana, Chandrapura and Muzaffarpur are not included in financial statements during current year, having not been received. However, the financial statements include the previous year's figures wherever available for these chapters.

2. With respect to Headquarters Delhi, Kolkata Office and COEs:

a) Contingent Liability and Commitments (to the extent not provided for)

i) Claims against the Institute not acknowledged as debts:

The Service Tax demand of ₹ 5,01,68,756/- (Previous Year ₹ 5,01,68,756/-) along with applicable interest penalty of ₹ 5,01,68,756/- (Previous Year ₹ 5,01,68,756/-) as per Finance Act, 1994 RW CGST Act, 2017 against which a sum of ₹ 37,62,657/- (Previous Year ₹ 37,62,657/-) being 7.5% of the demand has been paid and shown under the head “Loans and Advances”. The Institute has filed an appeal against the demand which is yet to be adjudicated.

ii) Capital Commitments:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for (net of advance) ₹ 26,96,19,621/-(Previous year : Nil)

iii) Other Commitments:

As per policy, medical expenses are reimbursed to the employees on submission of bills, subject to limits specified in the policy. As per the terms of the policy the unutilized balance can be accumulated for a period of 4 years. As on 31st March 2026, the unutilized balance lying to the credit of the employees amounting to ₹ 29,98,797 /- (Previous Year ₹ 27,48,333/-).

- b) All Prize Funds maintained by the Institute have been sponsored by different donors and are incorporated in the accounts with corresponding investment in Fixed Deposit with Banks, in terms of the decision of the Council.
- c) Investments (Not held in the name of the Institute)
 - i) Investments in Insolvency Professional Agency of Institute of Cost Accountants of India include 6 shares of ₹ 10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of the Institute of Cost Accountants of India.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)
Note – 30 (Contd)

- ii) Investments in ICAI Registered Valuers Organization include 1 share of ₹ 10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of The Institute of Cost Accountants of India.
- iii) Investments in ICAI Social Auditors Organization include 1 share of ₹10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of The Institute of Cost Accountants of India
- d) Fixed Deposits of ₹ 285,31,65,266/- (Previous Year ₹ 225,09,30,649/-).
- e) Other Advances include ₹ 1,36,097/- (Previous Year ₹ 1,36,097/-) due from a former Council Member owing to disallowance by the MCA, Govt. of India and presently the matter is subjudice.
- f) Statutory Audit Fees (inclusive of GST) ₹ 5,78,725/- (Previous year ₹ 5,12,710/-) - excluding Statutory Audit Fees in respect of Regional Councils and Chapters.
- g) The liability in respect of Gratuity, in accordance with the Code on Social Security, 2020 is recognized on the basis of contribution made to LIC against the Group Gratuity Policy.
- h) The liability in respect of Leave Encashment is recognized on the basis of contribution made to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LIC.
- i) Provident Fund Contributions are remitted to and deposited with Provident Fund Authority (EPFO) with effect from 1st April, 2025.
- j) The amount of ₹ 36,35,000/- (Previous Year: ₹ 36,35,000) released during FY 2020-21 is still lying as “Advance for Pune Building” under the head “Loans & Advances” and not being treated as “Capital Grant”.
- k) An amount of ₹ 5,47,63,800/- (Previous Year: ₹ 50,50,000/-) has been written back during the year in respect of unclaimed liability (CAT Computer share) that had been outstanding in the books for a considerable period and are now considered no longer payable by the management and credited to Prior Period Income.
- l) During FY 2025-26 an amount of ₹ 1,56,77,503/- (Previous year: ₹ 2,15,19,024/-) being GST input tax credit lying unutilized have been charged off to Statement of Income and Expenditure.
- m) Based on the available information with the Headquarters as at 31st March, 2026, there is no amount including Interest thereon payable to Micro Enterprises and Small and Enterprises as defined under “The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006”, as amended.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)
Note – 30 (Contd)

3. In respect of EIRC:

- a) Prior period items disclosed in the Statement of Income and Expenditure comprise the following:

Prior period Income:

i)	Computer Grant pertaining to previous year	₹ 5,00,000.00
ii)	Student Facilities expenses relating to previous year	₹ 20,070.00
	Total	₹ 5,20,070.00

Prior period Expenses:

i)	Pre-placement Orientation (ASTP) Prog.Expenses Pertaining to previous year	₹ 24,309.80
ii)	Car Hire Charges to previous year	₹ 3,420.00
	Total	₹ 27,729.00

- b) A net debit balance amounting to ₹ 1,61,27,371.25 arising out of inter-unit transactions and remaining unreconciled for more than ten years, reconciled and has been written off during the year and adjusted against the General Fund.
- c) Sundry Creditors amounting to ₹ 2,71,698.36 pertaining to the Andaman Extension Counter of Cost Accountants have been written back as it's existence presently do not relate to EIRC.

4. In respect of NIRC :

- i) NIRC has not provided for gratuity liability amounting to ₹ 36,93,893.35 in the books of accounts, as per the valuation report received from LIC of India, Pension and Group Schemes Department. This liability had also not been paid as of the date of our Audit Report. Furthermore, the valuation was conducted for 4 employees, whereas there are 6 employees in the organization out of which 1 employee has retired during the year.

Statutory Dues:

- ii) EPFO payable outstanding for F.Y. 2023-2024 includes ₹ 1,62,244 payable to EPFO as arrears and penalty u/s 7A vide letter DLCPM/17428/COMP/II/3 dated 17th April, 2023, which remains outstanding as at 31.03.2026.

Further, the following additional demands have been raised by EPFO:

- a) Ref. No. DL-17428/COMP-II/7C/4 dtd. 16.10.2026-₹ 1,38,084(for the period June,2011to September,2016).
- b) Ref. No. DL-17428/COMP-II/14B&7Q/3 dtd.16.04.2026-₹ 5,14,563 & ₹ 3,09,355 (for the period August2022to June2024)
 These demands are under reconciliation by the Management and no adjustment has been made in the Financial Statements pending final determination.
- iii) Few balance confirmations pending as at 31.03.2026 in respect of Loans and Advances and Trade Payables.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)
Note – 30 (Contd)

5. In respect of WIRC:

- a) Claims Receivable from FDAPL of ₹ 67,30,000 as appearing in Schedule-E-Current Assets, and Deferred Expenses of Rs. 15,69,507 as appearing in Schedule-F-Loans, Advances and Deposits are subject to litigation.
- b) The amount of provisions for recoverable of ₹ 4,20,707 as appearing in Schedule C – Current Liabilities to be written back on being approved by the AGM since not payable. Similarly, the same amount is incorporated in the Headquarters Accounts as receivable which also needs to be written off subject to approval by the AGM.

6. In respect of Cochin Chapter of SIRC:

Contingent Liability

- a) During the Financial Year 2018-2019 there was a Sub Court order against the Institute. These cases were filed by the neighbors of CFE claiming damage to their building due to the construction carried out by the CFE. The decreed amount is ₹ 19,38,785/- comprising of ₹ 13,00,000/- for compensation and ₹ 6,38,755/- towards interest. Chapter filed an appeal against this order with District court of Ernakulum along with the appeal, a stay petition was also moved and the District Court, Ernakulum was pleased to stay the operation of the decree on a condition that the chapter will furnish a bank guarantee to cover compensation and interest. Accordingly, two BGs for a sum of ₹ 15,00,000/- towards compensation and ₹ 5,43,885/- towards updated interest were issued and submitted to Court. The District Court has upheld the verdict of the lower court and hence the Institute has decided to go for appeal in the Honorable High court of Kerala. The case has now been handed over to the HQ as per directives from HQ and case is handled by advocates empaneled by the HQ. The HQ has begun appeal proceedings. As the appeal is only in the primary stage, the final outcome cannot be predicted with any significant probability. The bank guarantee stands as per the directive of the lower courts. Hence, no provision for contingent liabilities is being made at this stage.
- b) In case of works contracts awarded by the Chapter for the Constructions of Building at Chalikkavattom, Gramina Vayanasala Road, Vytilla, Ernakulam, awardee is responsible for deduction of tax for those works contract involves both supply of materials and the labour. Cochin chapter is liable to deduct and pay the works contract tax from the contractors before the payment is made to them unless a certificate in form No. 1EE is collected from respective contractors. In the case of work contracts amounting to ₹ 75,80,762/- the Form 1EE is not obtained. The works contract tax liability on the above will be ₹ 6,06,461/- plus the interest. The Chapter has not taken WCT registration, as all contractors are registered with the tax department, and have agreed to submit Form 1EE. The Chapter has retained an amount of ₹ 4,67,057/- which will be released to contractors only after the liabilities in relation for 1EE have been fulfilled.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

Note – 30 (Contd)

7. Exemption in respect of Income Tax has been granted under section 12A read with Section 11 of the Income Tax Act, 1961, Accordingly, no provision for income tax has been made. No provision for Deferred Tax Assets or Liability is considered necessary.
8. Necessary adjustment entries pertaining to Regional Councils and Chapters have been made at the time of consolidation of financial statements.
9. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to conform to the current year's classification/disclosure.

Signatures to Notes 1 to 30

CMA Soma Banerjee
Additional Director -Finance

CMA Dr. Debaprosanna Nandy
Secretary (Officiating)

CMA Neeraj Dhananjay Joshi
Vice President

CMA TCA Srinivasa Prasad
President

Date – 21st July, 2026
Place - Kolkata

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA STATUS OF RECEIPT OF ANNUAL ACCOUNTS FOR THE F.Y. 2025-26			
WESTERN REGION		SOUTHERN REGION	
SL NO.	NAME OF REGION & CHAPTERS	SL NO.	NAME OF REGION & CHAPTERS
1	WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL	1	SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL
2	Ahmedabad Chapter of ICMAI	2	Bengaluru Chapter of ICMAI
3	Baroda Chapter of ICMAI	3	Cochin Chapter of ICMAI
4	Bharuch-Ankleshwar Chapter of ICMAI	4	Coimbatore Chapter of ICMAI
5	Bhilai Chapter of ICMAI	5	Dindigul Chapter of ICMAI
6	Bhopal Chapter of ICMAI	6	Erode Chapter of ICMAI
7	Bilaspur Chapter of ICMAI	7	Godavari Chapter of ICMAI
8	Chhatrapati Sambhajinagar Chapter of ICMAI	8	Hosur Chapter of ICMAI
9	Goa Chapter of ICMAI	9	Hyderabad Chapter of ICMAI
10	Indore Chapter of ICMAI	10	Kottayam Chapter of ICMAI
11	Kalyan-Ambarnath Chapter of ICMAI	11	Kozhikode-Malappuram Chapter of ICMAI
12	Kolhapur Chapter of ICMAI	12	Madurai Chapter of ICMAI
13	Kutch-Gandhidham Chapter of ICMAI #	13	Mangalore Chapter of ICMAI
14	Nagpur Chapter of ICMAI	14	Mysuru Chapter of ICMAI
15	Nashik Chapter of ICMAI	15	Nellai-Pearl City Chapter of ICMAI
16	Navi Mumbai Chapter of ICMAI	16	Nellore Chapter of ICMAI
17	Pimpri-Chinchwad Chapter of ICMAI	17	Neyveli Chapter of ICMAI
18	Pune Chapter of ICMAI	18	Palakkad Chapter of ICMAI
19	Raipur Chapter of ICMAI	19	Pondicherry Chapter of ICMAI
20	Solapur Chapter of ICMAI	20	Ranipet-Vellore Chapter of ICMAI
21	Surat-South Gujarat Chapter of ICMAI	21	Salem Chapter of ICMAI
22	Thane Chapter of ICMAI	22	Sathavahana Chapter of ICMAI #
23	Vapi-Daman-Silvassa Chapter of ICMAI	23	Thrissur Chapter of ICMAI
		24	Tiruchirappalli Chapter of ICMAI
		25	Tirupati Chapter of ICMAI
		26	Trivandrum Chapter of ICMAI
		27	Ukkunagaram Chapter of ICMAI
		28	Vijayawada Chapter of ICMAI
		29	Visakhapatnam Chapter of ICMAI
		30	Warangal Chapter of ICMAI #

EASTERN REGION		NORTHERN REGION	
SL NO.	NAME OF REGION & CHAPTERS	SL NO.	NAME OF REGION & CHAPTERS
1	EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL	1	NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL
2	Agartala Chapter of ICAI	2	Agra Mathura Chapter of ICAI
3	Angul Chapter of ICAI	3	Ajmer-Bhilwara Chapter of ICAI
4	Asansol Chapter of ICAI	4	Beawar Chapter of ICAI
5	Balasore Chapter of ICAI	5	Bhiwani Chapter of ICAI
6	Bankura Chapter of ICAI	6	Bikaner Jhunjhunu Chapter of ICAI
7	Bhubaneswar Chapter of ICAI	7	Chandigarh-Panchkula-Mohali Chapter of ICAI
8	Bokaro Steel City Chapter of ICAI	8	Dehradun Chapter of ICAI
9	Chandrapura Chapter of ICAI #	9	Faridabad Chapter of ICAI
10	Cuttack Chapter of ICAI	10	Ghaziabad Chapter of ICAI
11	Dhanbad Chapter of ICAI	11	Gorakhpur Chapter of ICAI
12	Duliajan Chapter of ICAI	12	Greater Noida Chapter of ICAI
13	Durgapur Chapter of ICAI	13	Gurgaon Chapter of ICAI
14	Guwahati Chapter of ICAI	14	Haridwar-Rishikesh Chapter of ICAI
15	Hazaribag Chapter of ICAI	15	Jaipur Chapter of ICAI
16	Howrah Chapter of ICAI	16	Jalandhar Chapter of ICAI
17	Jamshedpur Chapter of ICAI	17	Jammu Chapter of ICAI
18	Kharagpur Chapter of ICAI	18	Jhansi Chapter of ICAI
19	Muzaffarpur Chapter of ICAI #	19	Jodhpur Chapter of ICAI
20	Naihati-Ichapur Chapter of ICAI	20	Kanpur Chapter of ICAI
21	Patna Chapter of ICAI	21	Karnal Panipet Chapter of ICAI
22	Patna Saheb Chapter of ICAI	22	Kota Chapter of ICAI
23	Ranchi Chapter of ICAI	23	Lucknow Chapter of ICAI
24	Rourkela Chapter of ICAI	24	Ludhiana Chapter of ICAI
25	Sambalpur Chapter of ICAI	25	Meerut Chapter of ICAI
26	Serampore-Hooghly Chapter of ICAI	26	Naya Nangal Chapter of ICAI
27	Siliguri-Gangtok Chapter of ICAI	27	Noida Chapter of ICAI
28	South Odisha Chapter of ICAI	28	Patiala Chapter of ICAI
		29	Prayagraj Chapter of ICAI
		30	Rewari Chapter of ICAI
		31	Saharanpur Chapter of ICAI
		32	Shimla Chapter of ICAI
		33	Sonepat Chapter of ICAI
		34	Srinagar Chapter of ICAI
		35	Udaipur Chapter of ICAI

Not included during current year, as the Financial Statements have not been received.